

ANNUAL REPORT 1992-93

ARCHIVE



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI-110 002

ANNUAL REPORT 1992-93

CONTENTS

1. Director General's Report	1
2. Standards Formulation	4
3. Certification and Quality Assurance	7
4. Laboratory Services	12
5. Promotional Activities	15
6. Regional and Branch Offices	17
7. International Cooperation	18
8. Sale of Publications	21
9. Information Services	22
10. Consumer Welfare	24
11. Use of Hindi in BIS Activities	25
12. Computerization and Office Automation	26
13. Plan Projects	28
14. Human Resources Development	29
15. Finance	31
16. Annex A Accounts for the Year 1992-93	32
17. Annex B Principal Officers of the Bureau, Executive Committee, Advisory Committees and the Directorate General	43
18. Audit Report	47

Director General's Report



The Bureau of Indian Standards (BIS) continued to make all round progress in its activities in respect of formulation of Indian Standards, particularly in identified thrust areas; propagation of standardization and quality control in different sectors of economy; introduction of Certification Marks Scheme for new products; quality system certification; and modernization and upgradation of testing laboratories during the period under review. BIS has been able to generate adequate resources for its activities for the fourth successive year. As a result there has not been any need of Government assistance towards its non-plan expenditure.

Meetings of Bureau and Executive Committee

BIS received guidelines and directions from the Bureau, Executive Committee and various Advisory Committees which contributed towards success in its activities. During the year, the Bureau held two meetings on 22 September 1992 and on 5 March 1993 under the chairmanship of Shri Kamaluddin Ahmed, Minister of State for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution. During the

meetings, the role of BIS in upgradation of quality of goods and services, the harmonious development of standards and quality certification in the country and the significant role it would play in providing thrust to Indian exports were stressed.

The Executive Committee (EC) held five meetings during the year and monitored the on-going activities of BIS and provided guidelines for further growth and development.

Standards Formulation

BIS continued the formulation of Indian Standards in line with the national priorities on a time-bound programme. During the year, 819 standards were formulated.

Formulation of standards has been intensified in the areas of technological significance such as information technology, renewable energy sources, environmental protection and safety and rural water supply system. Important Handbooks published during the year include Handbook on Pipes and Fittings for Drinking Water Supply and Handbook on Pumps.

BIS continued to participate actively in the Technology Mission on Drinking Water in villages and promote implementation of the Mission through exchange of dialogue with concerned agencies and also by organizing State and Region-wise conferences.

Product Certification

Steady progress has been recorded in the operation of the Certification Marks Scheme

with the grant of 1 238 new licences during the year, making the number of operative licences 11 726 and products covered 1 421. Review meetings and technical get-togethers are organized with licensees periodically to get feed back on certification. During the period under review, 20 meetings were held with the licensees of various products under certification.

Quality Systems Certification

The increasing need for improvement of quality, the world-over, has led to the development of Quality Systems to take care of all relevant aspects related to and influencing quality, starting from product inception and culminating in services to the users. Taking cognizance of development in this sphere, BIS launched the Quality Systems Certification Scheme in September 1991 to help the Indian industry build quality in their products and manage the quality systematically to boost exports. In this endeavour, BIS has aligned its standards on the subject to international standards on Quality Systems and is propagating them in the industry. More than 150 officers have been trained to assess the units operating Quality Systems. Two licences were granted during the year. With the gaining of momentum, another 50 licences are likely to be granted during next year.

IEC Quality Assessment System for Electronic Components

IEC Quality Assessment System for Electronic



Components (IECQ System) is a third party certification scheme operated at the international level, which is presently supported by 25 member countries. It is designed to facilitate international trade in the area of electronic components to assess quality, in accordance with the principle of reciprocity. Under this System, components released by an approved manufacturer in the certified country are equally acceptable in other participating countries without the need for further inspection and testing. An overwhelming response has been received from the Indian electronic components manufacturers and users to this System. Till date, 15 manufacturers, 4 test laboratories and 1 distributor have been approved in the country.

Laboratory Services

The network of eight BIS laboratories spread throughout the country maintained an even pace in the activity of testing conformity of BIS certified products against relevant Indian Standards. During the year 1992-93, 34 455 test reports covering a wide range of products were issued. BIS laboratories also participated in the standardization activities by undertaking research and development studies relating to development of test methods and investigation for fixing the limits of additional requirements in the existing standards/new standards being developed. In order to meet the increasing workload of testing, BIS spent a sum of Rs 3.55 million for purchase of additional test equipment and accessories.

Under Indo-EEC Cooperation Programme of Modernization/Upgradation of BIS laboratories, three specific areas, namely, food processing, electrical appliances and automobile sector were identified. Mechanical and Food/Chemical Laboratories were accredited under National Accreditation Board for Laboratories (NABL) Programme of the Department of Science and Technology, Government of India. The assessment in respect of electrical testing laboratory and calibration laboratories (Mechanical/Electrical) have been completed. Steps are also being taken for obtaining accreditation from NABL for Regional laboratories and also additional areas in Central Laboratory.

Promotional Activities

BIS continued to promote greater awareness about increasing importance and utility of Indian Standards, Standard Mark for product certification and Quality System Certification for the benefit of all concerned. BIS participated in a number of exhibitions, technical conferences, seminars, educational utilization programmes, company standardization programmes in different parts of the country. Publicity brochures, pamphlets and other literature were brought out on these occasions and services of electronic media, press and other audio-visual media were extensively utilized for spreading the message to the common people. BIS interacted with the consumer organizations as well as trade and industry

associations for ensuring fuller participation in its various activities.

International Cooperation

BIS participated in the various technical and policy making committees of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC). BIS made efforts for further strengthening the bilateral relations with other national standards bodies, besides regional organizations notably the European Economic Community.

Abatement of Pollution

BIS is actively engaged in development of standards for environmental protection and has formulated over 250 standards covering methods of test for various process industries, codes of practice for control of air and water pollution and guidelines for utilization and disposal of solid waste. BIS is also interacting with the Ministry of Environment & Forests, Government of India, for developing requirements for environment friendly products to be covered under the ECO Mark Scheme which was launched during the year, to be administered under the *BIS Act, 1986*.

Computerization and Office Automation

In order to improve productivity and overall efficiency, BIS continued its stride towards automation in office services. Six PCATs, one heavy duty and two light duty photocopiers



were added during the period. Various new applications/softwares were developed.

Human Resources Development

BIS had a strength of 2 332 persons as on 31 March 1993 including 401 persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. During the year, 55 in house training programmes were organized for 1 780 personnel, involving 4 413 mandays, covering employees at all levels. Besides these in-house training programmes, 186 officers were deputed to attend 79 different programmes, covering 993 mandays, organized by outside agencies. By and large, employer-employees relations remained cordial during the year. The management amicably sorted out the various issues through mutual consultations and discussions with the employees. Welfare measures adopted by BIS were continued.

Enforcement of Control Orders

To establish coordinated and concerted efforts with the various Central and State Government Departments responsible for promulgation and administration of respective Statutes, Quality Control Orders, etc, under which Standard Mark for a number of products has been made mandatory from health and safety point of view, a meeting of the implementing agencies involved with the enforcement

was held on 12 October 1992. This meeting helped in developing strategies for ensuring effective enforcement of these Orders.

Consumer Welfare

BIS strengthened its interaction with consumers and consumer associations, in order to create greater awareness amongst them regarding the role of BIS in promoting consumer welfare. Speedy redressal of consumer complaints in respect of certified products was also accorded high priority.

Finance

BIS continued to make steady progress in its activities without any support from the Government of India for the revenue budget for the fourth successive year. During the year, the total income was Rs 242.2 million against Rs 199.2 million in 1991-92, indicating a growth of 21.6 percent.

Looking Ahead

Over the 45 years of its existence, BIS has been tailoring its plans and programmes to national priorities and has oriented them in a bid to fulfil the national objectives. With the changed economic scenario and liberalization of trade, new challenges have been posed on BIS. In its endeavour to fulfil these challenges and to provide quality goods and services of international level, BIS has set itself a goal for


popularizing adoption of Quality Systems by Indian manufacturers. BIS, to set an example for others, has taken a decision to install the quality management system in its operation according to IS 14 002/ISO 9 002 during the next year.

BIS has introduced a scheme of labelling environment friendly products with ECO Mark along with BIS Standard Mark as a step towards protecting environment and ecology. The scheme is expected to gain momentum in the coming years and would bring a number of products under its fold.

The BIS testing facilities are being augmented to reduce testing time, which would help in better monitoring of the licensees' operation and also reduce the time in processing of applications. Efforts are being made to cover another 20 new products under BIS Certification Marks Scheme during 1993-94, in order to increase the availability of certified products to the consumers. Publicity drive would be strengthened to popularise the Certification Scheme and educate the consumers about the benefits of Standard marked products.

(Lieut General A.S. Bhullar)

Standards Formulation



During the year the Bureau of Indian Standards formulated 819 standards bringing the total number of standards in force to 16 142 as on 31 March 1993. A chart showing the number of standards in force over the last five years is illustrated in Fig. 1. The major activities under various fields are highlighted in Table 1.

IMPORTANT STANDARDS

Some of the important subjects on which standards were formulated are listed below :

Chemical and Petrochemical

- Safety glass for road transport

- Laundry detergent powders
- Acid grade fluorspar
- Chlorine tablet
- Resuscitators
- Anaerobic jointing compound for use in LPG appliances and installations
- Shampoo, synthetic detergent based
- Gear lubricants multipurpose
- Methods of test for coke — Special tests
- I.C. Engine, crankcase oils
- Code for packaging of natural rubber latex in drums

Civil Engineering

- Guide for low income housing in urban areas
- Code of practice for earthquake resistant design for construction of buildings
- Code of practice for safety during additional construction and alteration to existing buildings
- Recommendations for preventive measures against hazards at workplaces
- Selection of ground improvement techniques for foundation in weak soils
- Specification for precast ferrocement water tanks
- Structural design of spillway fier flat-V weirs and crests
- Guidelines for fixing intensity of irrigation
- Design aid for anchorages




Fig. 1 Standards in Force



Electronics and Telecommunication

- Code of practice for outdoor installation of public address system
- Performance requirements and methods of tests of TV ferrite components
- Specification for optical fibre cables
- Dimensions of ferrite components for CTV

Electrotechnical

- General requirements for electrical apparatus for explosive gas atmospheres
- Safety of household and similar electrical appliances
- Lead acid aircraft batteries
- Nickel cadmium batteries for

- electric locomotives
- Aluminium conductors, galvanized steel reinforced extra high voltage
- Railway carriage fans

Food and Agriculture

- Pasteurized milk, butter and butter oil
- Mineral water
- Indian curry powder and *garam masala*
- Chocolates

Management and Systems

- Guidelines for quality management procedures for out-patient department and emergency services
- Guidelines for quality management procedures for

- diagnostic and blood transfusion services
- Quality Assurance requirement for measuring equipment
- Sampling inspection procedures

Mechanical Engineering

- Domestic gas stoves for use with LPG
- Code of practice for visual inspection of 'in-use' low pressure, welded steel gas cylinders
- Gas leak detector for use with LPG burning appliances
- Fusible plug for dissolved acetylene gas cylinder
- Fire resistant conveyor belting for underground mines and such other

Table 1 Standards Formulation Activity During 1992-93

Field	Sectional Committees	Meetings Held	Standards Formulated	Amendments Issued	Draft Standards Issued into Wide Circulation	New Subjects Included in Programme of Work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chemical and Petrochemical	53	40	122	46	155	33
Civil Engineering	67	41	106	49	162	5
Electronics and Telecommunications	34	22	80	1	47	nil
Electrotechnical	40	14	71	26	15	34
Food and Agriculture	47	23	71	18	51	44
Management and Systems	7	5	10	4	10	26
Mechanical Engineering	71	42	156	40	115	57
Medical Equipment and Hospital Planning	18	7	39	61	25	13
Metallurgical Engineering	34	19	70	20	76	13
Textiles	29	15	52	34	33	5
Transport Engineering	23	13	42	18	43	20
Total	423	241	819	317	762	250



- hazardous applications
- Child resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages
- Wrist watches and watch movements
- Half side and face cutters with indexable inserts
- Fluid power fittings

Medical Equipment and Hospital Planning

- Non-cutting articulated type surgical instruments
- Suture needles
- Dental materials
- Radiation safety of dental X-ray equipment
- Safety of baby incubators

Metallurgical Engineering

- Weldable structural steel
- Aluminium alloy tube for irrigation purposes
- Stock for forgings produced from continuously cast blooms, billets and slabs
- Rust converters

Textiles

- Polyester cotton blended *khadi* (polyvastra) suitings for uniform
- Grading of raw silk
- Jute sacking
- Identification of application classes of dyestuffs in substance

Transport Engineering

- Electric horns for automotive vehicles
- Headlights for automotive vehicles
- Guidelines for overall evaluation of vibration in ships

- Brake performance requirement for three wheelers

REVIEW AND UPDATING OF STANDARDS

Standards are reviewed as considered necessary but at least once in five years. During the year, 317 amendments were issued to the existing standards.

THRUST AREAS

During the year, emphasis was on identifying thrust areas in the context of globalization of market and the challenges arising therefrom particularly the emerging European Market. Efforts were also made to prioritize the future programme of work of various technical divisions and give fillip to the projects needed urgently in the context of technology upgradation and consumer protection.

HARMONIZATION OF INDIAN STANDARDS WITH INTERNATIONAL/EEC STANDARDS

In the context of growing importance of International trade and commerce and emergence of unified European market, necessity has been felt to harmonize Indian Standards with their corresponding ISO/IEC and EN standards, European Economic Community (EEC) Directives and Regulations. The work in this area was therefore taken up vigorously by all technical departments resulting in harmonizing over 3 000 Indian Standards with International

and European and ISO/IEC standards.

As an added impetus towards the harmonization effort of BIS and to provide guidance and assistance to trade, industry and exporters in understanding the role of BIS and EEC standards and also to meet the technical requirements of the European Market, BIS has recently brought out a very useful and timely publication entitled Indo-EEC Trade - Standards and Certification Information for Exporters. The publication deals with topics like Indo-EEC Trade, Standards and International Trade, Harmonization of Standards and Technical Regulations within EEC, Conformity Assessment and Quality Assurance and the Role of BIS. It also contains an exhaustive compilation of Indian, International and European Standards alongwith information on harmonization in fields significant from the point of view of exports from India.

TECHNOLOGY MISSION ON WATER SUPPLY

The Bureau continued to provide active support in the area of standardization and quality assurance to the Technology Mission on Drinking Water in villages under the Quality Assurance for Water Supply Mission (QAWSM) project.

The work on preparation of Manuals on Guidelines for Location, Operation and Maintenance of Tube/Bore Wells, Handbook on Pipes and Fittings for Drinking Water Supply, and Handbook on Pumps were completed.



Division Council Meetings in Progress






Quality System Licence Awarding Ceremony



Discussion on Quality System Standards

Certification and Quality Assurance



The Bureau continued to stride ahead in its product certification and quality assurance activities through the BIS Certification Marking Scheme, Quality Systems Certification and IECQ Certification System for Electronic Components.

PRODUCT CERTIFICATION

The BIS Certification Marks Scheme continued to make progress during 1992-93. The income received from certification fees increased by 21.5 percent over the preceding year and touched the figure of Rs 218.8 million. The new licences issued during the year numbered 1 238. Twenty eight products came under the BIS Certification Marking Scheme for the first time. Some of these products are:

- Skim milk powder; standard grade
- Moulded rubberized coir cushioning
- Mosquito nets
- Deepwell handpumps
- Aluminium alloy pistons for internal combustion engines
- Acid resistant bricks
- Medium density fibre boards for general purpose

- Rotational moulded polyethylene water storage tanks
- Self-indicating and semi-self indicating counter type weighing machine
- Portable fire extinguisher, mechanical foam type
- Smoke detector for use in automatic electrical fire alarm system
- Pumps for fire fighting applications

- Paper for computer use
- Electric horns for automobiles

Indian Standards Under Certification

The total number of Indian Standards against which products have been certified since inception of the Scheme has gone up to 1 421. Of these, 295 standards relate to




Fig. 2 Licences in Operation



items of daily use by common consumers, such as LPG cylinders, LPG stoves, oil pressure stoves, pressure cookers, safety matches, safety razor blades, GLS lamps, fluorescent tubes, dry cell batteries, cotton vests, powder

hair dyes, desert coolers, vanaspati, biscuits, milk products, infant foods and mosquito nets. The value of the goods certified annually is estimated to be of the order of Rs 80 000 million. The total number of operative

licences as on 31 March 1993 stood at 11 726. (see Fig 2) The region-wise and industry-wise distribution of these licences is given in Table 2 and Fig. 3.

Table 2 Region-Wise Distribution of Certification Marks Licences (As on 31 March 1993)

SI No.	Region	Branch Office	Licences in Operation (Including Deferred)
1.	Central	a) Delhi	1 181
		b) Bhopal	618
		c) Ghaziabad	421
		d) Jaipur	482
		TOTAL	2 702
2.	Eastern	a) Calcutta (including Guwahati)	1 378
		b) Bhubaneshwar	170
		c) Patna	411
		TOTAL	1 959
3.	Northern	a) Chandigarh	1 288
		b) Faridabad	318
		c) Kanpur	263
		d) Lucknow	260
		TOTAL	2 129
4.	Southern	a) Madras	628
		b) Bangalore	444
		c) Coimbatore	431
		d) Hyderabad	561
		e) Thiruvananthapuram	184
		TOTAL	2 248
5.	Western	a) Bombay	1 669
		b) Ahmadabad	1 019
		TOTAL	2 688
GRAND TOTAL			11 726

Assessment of Operative Licences/ Applicants for BIS Licences

The number of preliminary inspections carried out for grant of new licences, periodic and

other inspections carried out for supervision over existing licences are given in Table 3.



equipped to provide efficient and effective service to the industry.

Mutual Recognition of the Scheme

During the year, BIS entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with British Standards Institute Quality Assurance (BSIQA), its counterpart in United Kingdom. With this MOU, both the organizations have agreed to work towards recognition of each other's certification. Indian firms now stand to gain considerably on savings in foreign exchange as they would be assessed for the BSIQA, UK Quality Systems Certificate by BIS and the payment for this would be in Indian Rupees.

Pre-Certification Services

To assist industry towards their preparation for implementation of Quality Systems, BIS conducted 250 appreciation programmes in which 6 308 personnel from industry, consultancy organizations and industrial associations were trained. Survey of five organizations, who are in the process of implementation of quality systems and are preparing for internal audit were conducted during the year.

Trial assessments of five organizations was conducted. Through these trial assessments, firms were taken a step closer towards their effort for third party certification.

IECQ CERTIFICATION SYSTEM FOR ELECTRONIC COMPONENTS

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) is an international certification system for electronic components. It facilitates international trade in electronic components of assessed quality in accordance with the principle of reciprocity. The assessed components released by any participating country are acceptable to all other participating countries of the System. India is a certifying member of this System since April 1989. BIS has the overall authority of managing and coordinating the activities of this System in the country.

During the period under review, two manufacturers' approvals were granted. With these additions, the total number of approvals granted as on date under the IECQ System, are as follows:

Manufacturers' Approval	-	15
Independent Test Laboratory Approval	-	4
Distributor Approval	-	1

In addition, the rules governing the System have been modified and according to the modified rules, it is required to ensure that organizations getting approvals shall conform to the requirements laid down in ISO 9000/IS 14000 series of Standards. On this basis, 4 manufacturers out of total 15 granted so far, have been given additional approval as per

ISO 9 000/IS 14 000 Quality System requirements.

ECO MARK


A Scheme for labelling environment friendly products, known as the ECO Mark Scheme, was launched during the year 1992 by the Ministry of Environment and Forests (MEF), Government of India. MEF has notified BIS as the administering authority for the ECO Mark Scheme under the *BIS Act' 1986*. For a product to be eligible for marking with ECO logo, it shall also carry the Standard Mark of the BIS, besides meeting additional optional environment friendly requirements which would be laid down in the relevant Indian Standards. For this purpose, the Standard Mark would be a composite one of Standard Mark and ECO logo.

The product categories identified so far include soaps and detergents, plastics, food items such as edible oils, *vanaspati* tea and coffee, paper, textiles, cosmetics, paints, batteries, electrical goods/electronic goods and wood substitutes.

A Gazette Notification giving criteria for ECO Mark for toilet soaps and synthetic detergents was published by the MEF on 28 April 1992. Subsequently, relevant Indian Standards on the subjects were amended.

The criteria for ECO Mark for paper and architectural paints have also been notified by the MEF and the amendments to corresponding Indian Standards have been processed and are currently under print. Work in other areas is also under progress.

Laboratory Services



The network of eight BIS laboratories continued to support the product certification system by ascertaining the conformity of certified products against the relevant Indian Standards.

Apart from conformity testing, the BIS Laboratories also provided specialized services, such as quality evaluation, investigation work related to standards formulation, development / modification of test methods, comparative evaluation of products, calibration of in-house test equipment, training of BIS personnel and others from industries, recognition of

independent laboratories as support service to Certification Marks Department.

Sample Testing

During the year, 34 455 test reports covering more than 1 000 different products were issued by BIS laboratories. In addition, 9 754 samples were got tested from outside laboratories, duly recognized by the Bureau. The progress in testing of samples during the last five years is given in Fig. 4.

Region-wise distribution of test reports issued by the Bureau's laboratories during the year 1992-93 is given below:

BIS Laboratories	No. of Test Reports Issued
Central Laboratory, Sahibabad	11 321
Eastern Region (Calcutta, Patna and Guwahati)	6 739
Northern Region (Chandigarh)	5 278
Southern Region (Madras and Bangalore)	5 970
Western Region (Bombay)	5 147
Total	34 455

Research and Investigational Work

The central laboratory of BIS undertook the following projects among other investigations:

- Analysis of chocolate samples for nickel content and standardization of the test method.
- Analysis of aspartame sample for standardization of test methods for various requirements specified in the Standard.

Quality Assurance

The existing Quality Manual covering all aspects of management and operation of Good Laboratory Practices (GLP) was revised and updated to align it with the latest recommendations of international guidelines by the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC) specified in ISO/IEC Guide 25, 58 and EN 45 000 series. The Manual is being implemented in all the Sections of the Central Laboratory. Work instructions




Fig. 4 Samples Tested in BIS Laboratories

and operative procedures for the various Sections in the Central Laboratory were completed during the year.

Calibration

The Central Laboratory of BIS has created the necessary calibration facilities in the electrical and mechanical fields for catering to internal needs. Presently AC and DC voltmeters, AC and DC ammeters, energy meters, Wattmeters, Kelvin bridges, wheatstone bridges, pressure gauges, vacuum gauges, micrometers, vernier calipers, dial gauges, travelling microscopes and dial thickness gauges are being calibrated in the Central Laboratory.

Calibration facilities for calibrating slip gauges upto 'O' grade by comparison method, equipment to check plain plug gauges and threaded plug gauges have been

commissioned during the year. Regional laboratories are also partially equipped in the above two fields.

Calibrators in the Mechanical and Electrical Calibration Laboratories of BIS are traceable to national standards maintained by National Physical Laboratory, New Delhi.

Modernization of Laboratories

For coping with the increasing workload of testing and also to upgrade the laboratories in line with the international practices over Rs 3.55 million were spent for purchase of additional test equipment and accessories. The BIS laboratory network was expanded and modernized, during the year. The new laboratory building at Calcutta was completed.

Under the Indo-EEC Programme of modernization/

upgradation of BIS laboratories, three specific areas, namely, processed food sector, electrical appliances and automobile sector have been identified. The Central Laboratory at Sahibabad and the Laboratory at Bangalore have been identified for modernization in the Processed Food Sector. The Mechanical Laboratory of the Central Laboratory has been identified to equip itself with the latest test facilities for protective helmets for scooter and motorcycle riders and for safety glass for use in automobile sector. The Central Laboratory and the Laboratory at Madras are being upgraded in the field of electrical appliances.

The following steps have been identified as part of modernization:

- i) Addition of equipment for improving the existing environmental conditions of testing.
- ii) Improvement in sample preparation techniques.
- iii) Additional testing equipment.
- iv) Imparting training to the testing personnel and supervisory officers.

One expert from Underwriter's Laboratory (UL) USA visited the Electrical Laboratory of BIS Central Laboratory during the year. The suggestions as given by him, in respect of improvement in the testing conditions, addition of test equipment, etc are being implemented.



Training in Testing

During the year, number of training programmes were organized for BIS personnel for gaining additional knowledge in the specialized field of testing, quality assurance, computer application in laboratory activities and managerial skills. Three senior officers from Central Laboratory and two regional laboratories were deputed for training at BSI Testing London, LNE France, PTB & BAM Germany to acquaint themselves with laboratory management, quality assurance practices as applicable to laboratory in the EC member countries. Trainees from many countries notably Malwai, Nepal, Uganda were trained in Central Laboratory in various areas of testing. Thirty two international trainees visited Central Laboratory for

familiarization in the field of testing.


Recognition of Independent Laboratories

Under the scheme of recognition of independent laboratories for carrying out testing work on behalf of the Bureau, fifteen new laboratories were recognized during the year, bringing the total number of recognized laboratories to 282.

BIS Central Laboratory maintained close liaison with Ministry of Non-Conventional Energy Sources. Six technical back-up units/solar energy centres were recognized during the year for testing of solid bio-mass *chulha*, solar cooker and solar flat plate collectors.

Accreditation of Central Laboratory by Department of Science and Technology, Government of India

Central Laboratory of BIS continued to pursue the programme of testing and calibration at the national level, in active coordination and liaison with Department of Science & Technology. The Mechanical, Food and Chemical Laboratories of Central Laboratory were accredited under National Coordination of Testing and Calibration Facilities Programme (NCTCF), now National Accreditation Board for Laboratories (NABL), of Department of Science and Technology, Government of India.



Laboratory Testing






World Standards Day Celebration



BIS participation in WET '93 Exhibition, Bombay

Promotional Activities



The Bureau continued to promote awareness about the increasing importance and utility of Indian Standards and BIS Certification Marking Scheme for the benefit of all concerned.

Implementation of Indian Standards

During the year, the following organizations opted for purchase of BIS certified products, wherever available:

- i) Border Roads Organization, New Delhi
- ii) Damodar Valley Corporaion, Bhabani Bhavan Alipore, Calcutta
- iii) Directorate of Rural Development, Government of Tamil Nadu, Madras
- iv) Western Coal Field Ltd, Nagpur
- v) Madhya Pradesh Electricity Board, Korba (MP)

Classified List of Indian Standards

SAARC countries observed the year 1993 as the 'Year of Disabled'. On the occasion, BIS published a Classified List of

Indian Standards on the equipment, appliances and aids for use of the disabled.

Educational Utilization of Indian Standards

In order to propagate the message of standardization and also to make the faculty members and students of technical institutions aware of the concepts of standardization and the latest Indian Standards in various fields, BIS has been organizing workshops on educational utilization of Indian Standards. Since last year, BIS also started taking the message to schools. During the year programmes were organized at the following places:

- G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar
- Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Bombay
- Laxman Public School, New Delhi
- Punjab Engineering College, Chandigarh

- Regional Engineering College, Durgapur
- Kerala Agricultural University, Thiruvananthapuram
- Narain P.G. College, Shikohabad

World Standards Day

World Standards Day 1992 was celebrated on 14 October to commemorate founding of the International Organization for Standardization (ISO). To mark the occasion, BIS organized a Seminar on 'International Standards - A Key to Open Markets' in New Delhi. World Standards Day was also celebrated by Regional, Branch and Inspection Offices of the Bureau.

Company Standardization

The Bureau is providing consultancy training to middle level personnel of various organizations in the field of Company Standardization. During the year following training programmes were organized :



Place	Target Group
New Delhi	Trainees from Nepal Bureau of Standards
New Delhi	Engineering Industry
Guwahati	Engineering Industry

Institute of Standards Engineers

BIS, as in the previous years, actively collaborated with the Institute of Standards Engineers (SEI), a professional body of practising standards engineers, to promote the concept of standardization and quality movement. The Bureau also continued to provide secretarial facilities to SEI.

Various offices in BIS collaborated with respective SEI Sections and organized several seminars, conferences, lecture meetings and workshops, to promote standardization and quality consciousness in the country. Company Standardization Training Programmes and Quality Systems Awareness Programmes were also organized by many Sections of SEI for the benefit of the industry.

State Level Committees for Standardization and Quality Systems

State Level Committees on Standardization and Quality Systems (SLCs) set up in 19 States and 2 Union Territories

are functioning to help the State Governments to upgrade the quality of products manufactured in the States as well as to upgrade the quality of goods procured by them. During the year, meetings were held by SLCs of Haryana, Himachal Pradesh, Orissa and Punjab.

Publicity

The All India Radio (AIR), *Doordarshan* and the Press gave extensive coverage of various important events and achievements of BIS during 1992-93.

Radio spots in Hindi and regional languages, talks, interviews and discussions pertaining to various activities of BIS were broadcast through All India Radio to inform and educate large sections of people all over the country. Quickies produced by BIS in Hindi and regional languages to motivate consumers to buy Standard marked goods, talks, interviews and group discussions, were telecast by *Doordarshan* through its various *Kendras* from time to time.

Publicity campaigns were also undertaken with the help of press interviews, press notes and advertisements; brochures, write-ups and articles; video films, cinema slides and close circuit TV at railway stations and hoardings, cloth banners, neon signs and publicity stickers. Special newspaper supplements were brought out on important occasions.


Publicity brochures were brought out on different themes. Some of these are as follows:

- BIS (English and Hindi)
- BIS in the Service of the Handicapped
- What to Look for in the Standard Mark?
- Buyers' Guide Database of Products with Standard Mark
- Indo-EEC Trade - Standards and Certification, Information for Exporters
- Indo-EEC Information Services on Standards and Quality

The Bureau participated in a number of exhibitions organized in different parts of the country. Some of these are as under:

- Consumer Awareness Exhibition, Bombay
- Build-Tech Exhibition, New Delhi
- Electric India '92, Madras
- Pharmatech '92 Exhibition, Bombay
- Techmart '92 Exhibition, New Delhi
- India International Trade Fair, New Delhi
- AIM '92 Exhibition, New Delhi
- Eleccrama'93, New Delhi
- World Congress on Total Quality, New Delhi
- Calcutta Book Fair, Calcutta
- Patna Book Fair, Patna
- Buyer-Seller Meet, Sivakasi
- Tenth Indian Engineering Trade Fair, New Delhi
- Indian Geotechnical Conference Exhibition, Calcutta
- Consumer Protection Exhibition, New Delhi
- Consumer Exhibition, Trichy

Regional and Branch Offices



The Bureau has a wide network of Regional, Branch and Inspection Offices spread throughout the country to effectively serve the industry. The five Regional offices at

Bombay, Calcutta, Madras, Chandigarh and Delhi are coordinating the activities in the respective Regions through Branch Offices. Inspection Offices under some of the

Branch Offices are also functioning to cater to local specific needs.

The present set up of Regional, Branch and Inspection Offices is as follows:

Regional Offices

Branch Offices

Inspection Offices

Central, New Delhi

Delhi, Bhopal, Jaipur and Ghaziabad

Bhilai

Eastern, Calcutta

Calcutta, Bhubaneshwar, Guwahati and Patna

Rourkela, Jamshedpur, Durgapur

Northern, Chandigarh

Chandigarh, Kanpur, Faridabad Lucknow

-

Southern, Madras

Madras, Bangalore, Hyderabad, Thiruvananthapuram and Coimbatore

-

Western, Bombay

Bombay and Ahmadabad

Nagpur, Rajkot, Vadodara, Aurangabad and Pune

The Regional Offices assumed added responsibilities of grant of licences in the Region with effect from 1 October 1992. The Regional and Branch Offices continued to make steady progress in bringing new industries under certification, monitoring the operation of licences, augmenting sale of publications, propagation of quality system certification and operation of regional and


branch laboratories.

The Regional and Branch Offices continued to make concerted efforts for promoting the cause of standardization through media. A close liaison was maintained with the Industry and Government through active participation in seminars, exhibitions and fairs; training programmes in the field of quality systems, company

standardization and statistical quality control; and review meetings.

The Bangalore Branch Office, apart from its other activities, continued discharging additional responsibility of standards formulation activity pertaining to electronics and telecommunications for active participation of expertise available in the area.

International Cooperation



The Bureau continued to participate in various technical and policy making committees of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC). It also made efforts for further strengthening the bilateral relations with other national standards bodies besides regional agencies, notably, European Economic Community (EEC).

International Organization for Standardization (ISO)

Amongst the policy making committees of ISO, the ISO/CASCO and Council meetings were held. The ISO/CASCO meeting was attended by Lieut Gen A.S. Bhullar, Director General, BIS; and the ISO Council Meeting was attended by Lieut Gen A.S. Bhullar and Shri Arvind Kaul, Joint Secretary, Department of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution. The important issues discussed were the ISO Development Plan and the re-organization of ISO to keep up with the changing needs of world in the field of standards and quality. India mooted the proposal for a

mechanism for international accreditation system for ISO 9 000 certification so as to have a uniform and credible system globally. This is now under serious consideration on priority at ISO.

International Electrotechnical Commission (IEC)

An Indian delegation comprising Shri A.K. Khosla, Chairman, G.E.C. Group of companies and Chairman Electrotechnical Division of BIS and Shri T.C. Kapur, Director, BIS attended the IEC General Meetings held at Rotterdam during 28 September-9 October 1992. The meetings comprised IEC Council, Committee of Action, President's Forum and Secretaries Forum where important policy matters were discussed.

Seminars

Lieut Gen A.S. Bhullar, Director General, BIS, attended the ISO/World Bank Seminar on 'Role of Standardization in Economic Development' organized jointly by ISO and World Bank at Washington during 4-5 November 1992. Here he presented a paper entitled 'European Community

Technical Assistance : Promoting the Export of Indian Commodities and Manufactured Goods to Europe and other World Markets' on behalf of Dr I. Dunstan, Chairman of the European Expert Group assisting India under the cooperation programme. He also presented a paper entitled 'Role of World Bank Funding in Upgradation of a Typical National Standards Body'.

NAM-SMQC Cooperation

The tenth meeting of NAM Coordinating Countries in the Sphere of Standardization, Measurement and Quality Control (SMQC) was held during May 1992 at Geneva. During the meeting, the follow-up actions arising from the meeting of NAM Experts Group, of which India is Chairman, were discussed.

ISO/IEC Technical Committees/ Sub-committees

Indian delegation participated in selected ISO and IEC Technical Committee/ Subcommittee meetings. Details are given in Table 4.



Table 4 ISO/IEC Meetings - India's Participation

Committee	Venue	Date	No. of Delegates
ISO/TC 34/SC 8 - Tea	Istanbul	27-30 April 1992	1
IEC quality assurance system for electronic components (IECQ)	Geneva	11-19 May 1992	3
ISO/TC 113 and its Subcommittees - Measurement of liquid flow in open channels	Paris	14-22 May 1992	3
IEC system for conformity testing to standards of safety of electrical equipment (IECEE)	Fribourg	8-12 June 1992	1
ISO/TC 28 and its Subcommittees - Petroleum products and lubricants	Philadelphia	8-12 June 1992	2
IEC/TC 61 and its Subcommittee - Safety household and similar electrical appliances	Rotterdam	28-30 September & 5 October 1992	1
IEC/TC 42 - High voltage testing technique	-do-	1-3 October 1992	1
IEC/TC 66/SC 66E - Safety of measuring control and laboratory equipment	-do-	7-9 October 1992	1
ISO/TC 45 and its Subcommittees - Rubber and rubber products	Montreal	26-31 October 1992	1
ISO/TC 176 and its Subcommittees - Quality management and quality assurance	Brisbane	2-7 November 1992	1
ISO/TC 149 Subcommittees - Cycles	Tokyo	4-6 November 1992	1
ISO/TC 22 - Road vehicles	-do-	11-13 November 1992	2
ISO/TC 34/SC 7 - Spices and condiments	Jakarta	17-19 November 1992	2

Indo-EEC Cooperation Programme

The Programme made considerable progress during the year. The meeting of the Indo EEC Working Group was held at Brussels in June 1992 where the future actions in the following long term projects were identified:

- a) Upgradation and Modernization of Laboratory Systems
- b) Quality Systems Certification
- c) Exchange of Information

Another major development during the year was the series of meetings of the European Expert Group in India with the Inter-ministerial Task Force of the Government of India, of which BIS was a member, to develop a National Quality Council in India for the accreditation of product and quality systems certification, personnel and testing laboratories, besides establishment of a National Information Enquiry Service for exporters and a National Quality Campaign.

BIS established the National Information Enquiry Service for exporters in India. For the purpose, three BIS officers also underwent training in the Technical Help to Exporters (THE), BSI, UK, for two weeks in February 1993 under the Indo-EEC Cooperation Programme.

Bilateral Cooperation

BIS exchanged proposals for cooperation with Turkey, Hungary, Russia, Ukraine and China. Besides, a Memorandum of Understanding



(MOU) of intent was signed between BIS and BSIQA of UK for joint certification in the field of quality systems. Similar MOUs were discussed with France and Germany.

Work was conducted by correspondence on bilateral cooperation themes with Poland and Russia in the fields of standards and quality.

International Training Programmes

Four specialized training programmes in standardization and quality control, legal metrology and laboratory testing were organized in New Delhi for nine trainees from four countries. The trainees were also exposed to the various quality control activities being exercised by industrial units in India.

The twenty-fifth International Training Programme in Standardization and Quality Systems for Developing Countries was organized during 7 October to 4 December 1992. This was attended by 32 participants from 20 developing countries of Asia, Africa, Latin America and Europe.



International Training Programme on Standardization and Quality Systems






BIS participation in **Techmart-1992**, Exhibition, New Delhi



Publications on Display

Sale of Publications



The Bureau operates sales through 17 sales points at Headquarters, Regional, Branch and Inspection Offices. The primary function is to market BIS publications such as Indian Standards, Special Publications, Handbooks, Calculation aids, binders and S&T publications. Sale is carried out against cash payment at various sales counters and also on credit to Government departments/

public sector undertakings and large industrial organizations. Sales of BIS publications to overseas organizations including standards bodies is carried out from Headquarters. In addition, 116 registered booksellers augment our sales network. The Bureau operates the 'Standards Update Scheme' through which organizations are entitled to receive one copy each of Indian Standards, BIS Handbook, journals and Annual

Report against an annual subscription of Rs 25 000.00.

Sale of Indian Standards

During 1992-93 a total revenue of Rs 15.607 million was earned from sale of Indian Standards at the various sales points located in the five regions, details of which are given below:


Region	Total Sale (Rs in Million)
Central Region (New Delhi, Bhopal and Jaipur)	4.494
Eastern Region (Bhubaneshwar, Calcutta and Patna)	1.967
Northern Region (Chandigarh and Kanpur)	0.797
Southern Region (Bangalore, Coimbatore, Hyderabad, Madras and Thiruvananthapuram)	4.197
Western Region (Ahmadabad, Bombay, Nagpur and Pune)	4.152
Total	15.607

Sale of Overseas Publications

Sale of overseas publications is carried out from Headquarters.

Copies of overseas standards are procured from different standards bodies against specific orders received from parties. During the year

1992-93, the total sale of overseas standards was Rs 2.215 million from which revenue earned was Rs 1.072 million.



The Bureau continued to disseminate information on standardization, certification and quality management through its Technical Services Centre and Library.

Technical Information Services

The Technical Information Services Centre (TISC) responded to enquiries through the GATT Enquiry Point and ISONET Centre. The Centre provided 150 bibliographic outputs from the *Manaksandarbhika* database and marketed Buyers' Guide database on floppy diskettes besides providing print outs on request.

In order to keep the users well informed in their field of interest, the following information bulletins were brought out on a regular basis:

- Standards Worldover-Monthly Additions
- Current Published Information on Standardization (Monthly)
- EEC Norm-Scan (New quarterly newsletter on developments in Europe in technical legislation, standardization and certification).

GATT Enquiry Point

The Government of India has designated BIS as the Central Enquiry Point for India under the Agreement on Technical Barriers to Trade, popularly known as GATT Standards Code. Through this, BIS provides information on standards, regulations and certification systems to GATT members and exporters. The Enquiry Point also receive enquiries from abroad about Indian Standards, technical regulations and certification systems. To help the Indian Industry, the Enquiry Point answered 2 505 enquiries from Indian individuals, industry and Government agencies about Indian, foreign and international standards, technical regulations and certification systems.

ISONET

BIS actively participates in the International Information Network (ISONET) which functions under the ISO Information Committee (INFCO). It is a decentralized system in which each information centre is responsible for collecting, indexing and retrieving information on standards and

standards type documents of the participating country. Progress was made for creation of a database on Indian Standards, in accordance with the ISONET Manual, for providing technical assistance to exporters.

Library Services

During the period under review, the Library at Headquarters added to its collection, 16 000 standards and related technical documents published by overseas standards bodies, as well as publications and standards issued by various learned societies and technical associations engaged in the work of standardization. Recently published technical books in the field of science and technology were also added. The library also added 550 technical periodicals.

At present, under the Library Membership Scheme, about 2 000 members are registered. During the year, the Library received and answered 1 759 enquiries from its members, industry and trade. Apart from written enquiries, more than 5 600 visitors visited the Library seeking information on National / International Standards.



Standards. About 60 000 publications/standards were either consulted or issued to various categories to the readers.


The Library Service Centre continued to supply journals and technical books to the BIS Regional and Branch Office libraries and also necessary literature required for Information Centres established

under World Bank Project at Mysore and Jamshedpur. It prepared 10 bibliographies during the period under review. In order to keep the readers well informed in their fields a monthly bulletin 'Additions to the Library' is regularly being brought out.

Translation Services

About 2 600 pages comprising standards, technical reports

and scientific and technical papers were translated from French, German and Russian into English. Besides, large number of queries pertaining to information contained in foreign language documents were responded to and a number of articles abstracted. Translation from other languages was arranged utilizing the services of panel translators.



The Bureau continued to interact intensively with common consumers and consumer associations, for creating greater awareness amongst consumers regarding the role of BIS in promoting consumer welfare through its activities.

Recognition to Consumer Organizations

Three consumer organizations were granted recognition under the *Bureau of Indian Standards (Recognition of Consumers' Association) Rules, 1991* notified by the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution. These are the first recognitions to be granted under the said Rules which enable the consumer associations to file complaints in the Court of Law as provided under Section 34 (1) of the *BIS Act 1986*. This recognition would provide strength to the growing consumer movement in the country. Representatives from these organizations were presented certificates at a function organized by BIS to celebrate World Consumer Rights Day on 15 March 1993. Shri A.K. Antony, Union Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution was the Chief Guest at the function which

was presided over by Shri Kamaluddin Ahmed, Minister of State for Civil Supplies Consumer Affairs and Public Distribution. Senior officials of the Ministry, President and members of the Consumer Disputes Redressal Commission and representatives of consumer organizations located in Delhi participated in the function.

Consumer Education

BIS officers participated in conferences, workshops, panel discussions and interviews televised by *Doordarshan Kendras* and delivered talks and lectures in various seminars organized by consumer organizations. They also participated in meetings of the Central Consumer Protection Council, the apex authority coordinating the efforts of providing protection to common consumers in the country. An All India Campaign through all Regional/Branch Offices was also launched to educate consumers regarding misuse of the Standard Mark of BIS.

To make consumers aware of standardization work at the national level, Consumer News Reprints from '*Standards India*' were circulated to around 400 consumer organizations located all over the country. As part of

the Bureau's drive in consumer education, brochures entitled 'Are You A Victim of Any of These Myths?' and 'What To Look For In The ISI Mark', and a poster titled 'Electric Lamps - Facts You Should Know' were brought out.

At the international level, the Bureau interacted with COPOLCO, the ISO/IEC Council Committee on Consumer Policy. Write-ups on 'Current activities of BIS of Interest to Consumers' were published in issues of '*Consumer Communique*', No. 27, August 1992, and No. 28, January 1993.

Complaints

Consumer complaints regarding products carrying the Standard Mark, received during the year, continued to draw vigilant attention and were effectively monitored and redressed in time.

With a view to foster close involvement and participation of all BIS employees in its activities and also to draw upon their experience of actual working, a suggestion scheme was launched. A function was also organized in the BIS Auditorium to distribute prizes, as a token of recognition of good suggestions received.

Use of Hindi in BIS Activities



Keeping in view the National policy on official language, the Bureau continued promoting use of Hindi in its various activities. In order to remove hesitation for doing work in Hindi, number of Hindi Workshops were organized at the Headquarters and Regional Offices. Few BIS employees also appeared for Hindi typing and stenography examination.

Hindi Week

Hindi Week was celebrated during the period 14-18 September 1992 in BIS Headquarters and also in

Regional and Branch Offices. At Headquarters, various competitions in essay writing, typing and shorthand were organized

Translations


During the year, 15 standards were translated and 35 bilingual standards were published. Published standards related to common consumer items like wick lamps, non-pressure type stoves, screw drivers, metal chairs, stainless steel utensils, galvanized steel sheets and water purifier. A pamphlet 'BIS

and Infant Care', and a brochure 'Strengthening Standardization in Small Scale Sector' were also translated. Besides, a number of certification marks licence documents, titles of Indian Standards, circulars and press releases were also translated.

Manakdoot

'Manakdoot', the Hindi quarterly journal, is published by BIS for the promotion of standardization and quality consciousness amongst masses.

Computerization and Office Automation



During the year 1992-93, many computerized systems and databases were developed and implemented to improve in-house productivity and bring about overall efficiency in various functional areas. Salient features are as follows :

Computerization Facilities

Six PC-ATs were added exclusively for in-house on the job training to officers and staff on various computerized systems and application softwares such as Computer Aided Drafting and Desk Top Publishing. The use of computers for implementation of Hindi within the Bureau has been further strengthened by procuring six copies of the Hindi Word Processing Software 'AKSHAR'.

Database Services

During the year 1992-93, emphasis was laid to implement computerized systems which could serve the Indian industry and trade with the latest and updated information on Standards and

Quality. The following value added database services were implemented for exporters, industry and other users of Standards in the country.

Buyers' Guide

Buyers' Guide, a database of products covered under the BIS Certification Marking Scheme, was earlier brought out in the printed form and is now available on floppy diskettes.

On-Line Access to Standards Database

The Bibliographic database on Standards Worldover 'Manaksandarbhika' can now be accessed on-line through TIFACLIN and CMC's Indonet.

European, International and Corresponding Indian Standards Database

The computerized query based system is useful to retrieve information on standards, directives and technical regulations in force in EEC

countries on subjects pertaining to thrust areas of exports from India.

Computerized Systems for Efficiency in Functional Areas

During the year 1992-93, the following computer based systems have been implemented for systematic data flow, information building and generation of management information reports for use in planning, review and monitoring of the various activities of the Bureau.

Standards Database

An integrated Computer System on Programme of Work (POWER) and Standards Action File (SAFE) for updating database on Indian Standards as well as monitoring standards formulation activities was implemented. The System has helped the Technical Departments of BIS to avoid duplicate efforts in data preparation as well as monitor the standards activities more efficiently.



Sales and Inventory Management of BIS Publications

The computerized system has been further reinforced to take care of sales and inventory management of BIS publications at Regional and Branch offices. This integrated computer system will bring about efficiency in the printing management and inventory of standards.


Consumer Complaints Database

A comprehensive computer based system has been designed and developed to bring about efficiency in the handling of public grievances and consumer complaints. The database is extremely useful for generating feedback information reports for operational levels to monitor this activity on day-to-day basis.

Systems Study

In order to implement open systems and networking in BIS, Electronics Corporation of India Limited (ECIL) was entrusted with the job of studying BIS requirements and recommending suitable information systems including hardware and software for its day-to-day operations and management. The study report would serve as a lead document for integrating the present hardware and software with the future plans on computerization and office automation in BIS.

Plan Projects



The Eighth Five Year Plan (1992-97) envisages a proposed outlay of Rs. 150 million for upgradation of laboratory and computer network, GATT Enquiry Point and S&T projects. Rs 5.58 million were spent on various ongoing projects. The progress achieved during 1992-93 is as follows:

a) **Laboratory, Computer and Other Associated Equipment**

Rs 3.87 million were spent for procuring sophisticated laboratory equipment and computers software package;

b) **GATT Enquiry Point**

Rs 0.13 million were spent for procuring of spare parts for micrographic equipment under the project;

c) **Extension of Headquarters Building**

Under the project, Rs 0.82 million were spent on construction of underground water tank and fire fighting equipment.


World Bank Project

BIS negotiated successfully a loan from the World Bank under

the Technology Services Revolving Fund for seven projects.

During the year, Rs 6.41 million were spent on development of training course material, visit of IECEE experts for upgradation of BIS laboratories, training of auditors in Quality Systems, training of BIS laboratories' officers in overseas reputed laboratories, installation and operation of management scheme for quality system certification.

Human Resources Development



As on 31 March 1993, a total of 2 332 persons were employed

in BIS.

The deployment of personnel in

the various activities of the Bureau during the last year is given below:

Activity

Deployment of Personnel as on 31 March 1993

a) Standardization (formulation, publication, sales and distribution of standards and other publications)	534
b) Certification and quality systems	835
c) Laboratories	396
d) Promotional activities (standards promotion, statistical quality, technical information and computer services)	84
e) Support services (personnel management, accounts, general services, building maintenance and security).	483

Total

2 332

SC/ST Representation

The strength of SC/ST in

various categories of posts was 401 at the close of the year as against 406 in the

previous year. The groupwise break-up for the year is given below:

Group

No. of SC/STs as on 31 March 1993

A	62
B	23
C	147
D (Excluding Safai Karamchari)	126
Safai Karamchari	43

Total

401

Staff Welfare

Welfare measures adopted by BIS for its employees were continued. Holiday Homes for

recreation of the employees were made available. Welfare measures applicable to Central Government employees were also made available to BIS

employees, such as Group Insurance Scheme and employment on compassionate grounds to dependents of employees who died while in service.



Training

The Bureau made steady progress in its training activities during the year 1992-93. In-house Training Programmes progressed further and a total of 55 In-house Training Programmes were organized/coordinated during 1992-93 for 1 780 personnel and for 4 413 man-days, covering all levels of employees.


Besides the In-house Training Programmes for officers and staff of the Bureau, advantage is also continuously being taken of the various training programmes organized by different outside agencies by deputing officers and staff of BIS in these specialized programmes. This activity continued to be of great relevance to the work of the Bureau as is evident from the

figure of 186 officers deputed to attend 79 different programmes covering 993 man-days as compared to 79 officers deputed to attend 54 different programmes covering 248 man-days in 1991-92. This activity is likely to pick up still further in the coming years.

Table 5 gives the details of Important Training Programmes.

Table 5 Important Training Programmes During 1992-93

Name of Training Programme	Duration	No. of Participants
Hindi Workshop on Noting and Drafting	One week	46
Beginners Course in Personal Computer		
- for Officers	84 hours	20
- for Staff	42 hours	52
DTP Training Programme	42 hours	20
Workshop on Computer Systems and Databases	3 days	12
Awareness Programme on Implementation of IS 14002 in BIS including Training of Trainers Module at Headquarters and at Bangalore	2 days	71
Awareness Programme on Implementation of IS 14002 in BIS	One day	1 078
Lead Assessors Training Programme at New Delhi	One week	75
Workshop on Writing Procedures	One day	98
Executive Development Programme on Managerial Effectiveness in dealing with the subordinates	3 days	26
Training Programme on Managerial Effectiveness	One week	39
Workshop on How to Write Confidential Reports	4 hours	53
Training Programme on How to Deal with Visitors - In Person or on Telephone	2 days	25
Training Programme for Style Manual	10 hours	14
Training Programme on Pesticides Analysis	2 weeks	19



For the fourth consecutive year, the Bureau achieved the goal of self reliance in meeting its non-plan expenditure.

Revenue (Non-Plan)

The accounts for the year show a healthy picture. Total income generated stood at Rs 242.2 million which was 21.6 percent above that achieved last year, the largest contribution being certification fee which stood at Rs 218.8 million against Rs 180.1 million during the previous year. Expenditure during the year was Rs 216.3 million against Rs 193.0 million during 1991-92, representing an increase of 12.1 percent. Total operating surplus stood at Rs 25.9 million which is 10.7 percent of the income as compared to 3.1 percent in the previous year. After appropriating Rs 5.0 million towards World Bank Loan Redemption Fund Account, the net surplus stood at Rs 20.9 million.

A graphic presentation of the growth of income during the five-year period ending 31 March 1993 is given in Fig. 5.

Capital (Plan)

Government allocated Rs 16.0 million for the annual plan 1992-93. Taking into account

the progress of various projects, Government released Rs 12.7 million in addition to the unspent grant of Rs 3.3 million from the previous year. Details of these projects and progress made are given in chapter on 'Plan Projects'.

World Bank Projects

The total loan received upto 31 March 1993 stood at Rs 7.0 million. During the year, a sum of Rs 5.1 million was spent on revenue items and Rs 1.0 million on capital items.

Loan

Conveyance loan of Rs 1.4 million was provided to 74 employees out of Bureau's own resources during the year. Under the House Building Loan (interest subsidy) Scheme, 21 employees availed the facility during the year and since the introduction of the Scheme, 167 employees have so far availed this facility

Statement of Accounts

Statement of accounts for the year 1992-93 is given in Annex A.




Fig. 5 Income (Million Rupees)



ANNEX A

Accounts for the year 1992-93
(Figures have been rounded off to whole rupee)

BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 1993

SCHEDULE		Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92	
SOURCES OF FUNDS				
1.1	Capital Fund	N	155 146 738	131 136 812
1.2	Reserves & Funds	O	194 099 678	54 504 384
1.3	Loans	P	11 900 000	13 100 000
TOTAL			<u>361 146 416</u>	<u>198 741 196</u>
APPLICATION OF FUNDS				
2.1	Fixed Assets	Q	84 183 642	89 955 568
2.2	Investments	R	210 424 032	60 820 750
WORKING CAPITAL				
3.1	Current Assets, loans & Advances	S	89 086 266	66 959 655
3.2	Less : Current Liabilites	T	<u>22 547 524</u>	<u>18 994 777</u>
			66 538 742	47 964 878
TOTAL			<u>361 146 416</u>	<u>198 741 196</u>

NOTES:

- 1) Schedules A to T form part of Accounts .
- 2) The closing stock of Indian Standards has not been valued and included in the accounts.

Sd/-
(Lieut General A.S.Bhullar
Director General,BIS

Sd/-
(Aruna Bhatia)
Dy Director General Finance,BIS

Sd/-
(S.K.Dutta)
Director (Accounts),BIS



INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1993

INCOME

	SCHEDULE	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Certification Fees		218 787 149	180 104 642
2. Sale of Standards	A	16 592 063	15 471 843
3. Other Income	B	6 820 231	3 589 730
4. Govt. Grant		—	—
TOTAL		242 199 443	199 166 215

EXPENDITURE

	SCHEDULE	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Pay and Allowances	C	121 098 662	105 275 876
2. Retirement Benefits	D	736 762	756 227
3. Other staff benefits	E	5 744 764	5 963 355
4. Travelling Expenses	F	6 929 430	6 696 686
5. Subscription to International Organisations	G	10 889 018	10 740 808
6. Production	H	6 134 371	5 664 751
7. Testing	I	15 530 731	12 465 729
8. Publicity	J	2 054 127	1 623 688
9. Office Expenses	K	19 280 728	18 788 196
10. Repairs & Maintenance	L	5 556 679	4 843 227
11. Other Expenses	M	5 363 507	5 864 208
12. World Bank Project Revenue Expenses	M1	5 065 463	707568
13. Depreciation	Q	11 936 679	13 618 346
TOTAL		216 320 921	193 008 665

Surplus/(Deficit)

25 878 522

6 157 550

APPROPRIATIONS

Transfer to:

World Bank Loan Redemption Fund

5 000 000

5 000 000

Capital Fund

20 878 522

1 157 550

TOTAL

25 878 522

6 157 550





SCHEDULE A — SALE OF STANDARDS

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Indian Standards	15 501 013	14 279 979
2. Calculation Aids and Binders	18 580	89 444
3. Overseas Publications(Commission)	1 072 470	1 102 420
TOTAL	16 592 063	15 471 843

SCHEDULE B—OTHER INCOME

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. CGHS Contribution	32 513	32 991
2. Conferences, Consultancy & Training Fees	509 704	648 847
3. Interest from House Bldg. Loan	361 110	344 937
4. Miscellaneous		
a) Other Sources(refer Section 18(i)(c))		
b) Others	5 916 904	2 562 955
TOTAL	6 820 231	3 589 730

SCHEDULE C—PAY AND ALLOWANCES

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. PAY		
Members of the Bureau (Other than Director General)	—	—
Director General	45 852	41 285
Officers	27 970 515	26 785 837
Staff	31 863 640	31 878 432
2. ALLOWANCES		
Members of the Bureau (Other than Director General)	—	—
Director General	109 524	49 045
Officers	26 144 042	18 508 007
Staff	34 965 089	28 013 270
TOTAL	121 098 662	105 275 876

SCHEDULE D—RETIREMENT BENEFITS

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
Contributions to:		
1. Provident Fund	736 762	756 227
2. Pension Fund	—	—
3. Gratuity Fund	—	—
TOTAL	736 762	756 227



SCHEDULE E—OTHER STAFF BENEFITS

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. CGHS and other Medical Benefits	2 321 507	3 101 146
2. Staff Welfare	2 130 910	1 659 434
3. Leave Travel Concession	1 292 347	1 202 775
TOTAL	5 744 764	5 963 355

SCHEDULE F—TRAVELLING EXPENSES

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Overseas	38 554	116 047
2. Officers and Staff	6 748 964	6 419 271
3. Committee Members	141 912	161 368
TOTAL	6 929 430	6 696 686

SCHEDULE G—SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. International Standards Organization	6 427 675	6 547 338
2. International Electrotechnical Commission	4 461 343	4 193 470
TOTAL	10 889 018	10 740 808

SCHEDULE H—PRODUCTION

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Standards	4 239 810	3 967 591
2. Bulletin	675 604	660 905
3. Calculation Aids and Binders	0	66 522
4. Other Publications	1 218 957	969 733
TOTAL	6 134 371	5 664 751

SCHEDULE I—TESTING

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Testing Fees Paid to Outside Labs.	11 700 350	9 236 799
2. Laboratory Apparatus and Stores	3 130 122	2 502 372
3. Market Samples	700 259	726 558
TOTAL	15 530 731	12 465 729

SCHEDULE J—PUBLICITY

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Exhibition	254 530	317 453
2. Advertising	1 213 836	1 164 727
3. Audio Visuals and Others	585 761	141 508
TOTAL	2 054 127	1 623 688



SCHEDULE K — OFFICE EXPENSES

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Stationery	2 890 206	2 466 818
2. Postage	1 923 816	1 814 433
3. Telephone and Telex	3 101 569	3 338 299
4. Recruitment	58 448	301 482
5. Refreshment and Entertainment	421 133	349 105
6. Liveries	280 893	328 812
7. Freight and Cartage	319 398	324 903
8. Insurance and Bank Charges	600 130	601 032
9. Miscellaneous	685 188	940 651
10. Rent and Taxes	3 499 245	3 758 961
11. Electricity and Water	5 500 702	4 563 700
TOTAL	19 280 728	18 788 196

SCHEDULE L—REPAIRS AND MAINTENANCE

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Furniture and Equipment	849 177	777 527
2. Building	4 063 625	3 625 116
3. Vehicles	643 877	440 584
TOTAL	5 556 679	4 843 227

SCHEDULE M—OTHER EXPENSES

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Research and Consultation	—	137 000
2. Conferences, Consultancy and Training Programme	781 893	1 173 655
3. Electronic Data Processing	1 419 759	1 172 701
4. Library Subscription and Other Expenses	380 643	530 728
5. Audit Fees and Legal Charges	260 743	326 138
6. Staff Training	779 100	705 814
7. Interest/Interest subsidy on House Building Loan	1 486 166	1 459 872
8. Interest on other loans from		
a) Central Government		
- Towards Conveyance Loan	235 000	347 500
b) Other Sources	—	—
9. Bad Debts Written Off	20 203	10 800
TOTAL	5 363 507	5 864 208



SCHEDULE M1 — WORLD BANK PROJECT REVENUE EXPENSES

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1. Project 1 - Standardization on Management & Standards Development	1 265 680	615 257
2. Project 2 - Upgrading Quality of Products	548 665	—
3. Project 3 - upgrading BIS Lab Network	818 233	86 647
4. Project 4 - Strengthening BIS Training Activity	2 195 685	—
5. Project 5 - Strengthening BIS Promotional Efforts	—	—
6. Project 6 - Technical Assistance to Exports	—	—
7. Project 7 - Standards Information Centres	237 200	5 664
TOTAL	5 065 463	707 568

SCHEDULE N—CAPITAL FUND

	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
As per last Balance Sheet	131 136 812	116 288 291
Add:		
i) Cost of assets capitalized (Refer Schedule 'O' SI No.1)	3 132 945	13 634 648
iii) Cost of assets capitalized from QAWSM funds (Refer Schedule 'O' SI No.3a)	—	85 177
iv) Excess of income over expenditure (Surplus carried over from Income And Expenditure Account)	20 878 522	1 157 550
TOTAL	155 148 279	131 165 666
Less:		
ii) Capital investment written off	1 541	28 854
TOTAL	155 146 738	131 136 812

SCHEDULE O — RESERVES AND FUNDS

SL No.	Particulars	Source of Grant	As on 1 April 92	Receipts/ Adjustments during the year	Utilisation during the year			As on 31 March 93
					Capital	Revenue	Total	
1.	Funds in the process of Capitalization (Name of the Projects)							
a)	Laboratory equipment, computer and associated equipment fund	Ministry of Food & Civil Supplies	7 435 831	5 621 023	1 876 733	—	1 876 733	11 180 121
b)	Calcutta Lab-cum-Office building fund	-do-	806 328	27 433	26 343	—	26 343	807 418
c)	S & T Project fund	-do-	150 261	554 406	—	283 066	283 066	421 601
d)	Development of hand book project fund	-do-	-14 288	11 344	—	—	—	-2 944
e)	Staff Housing Project	-do-	36 900	6 634 100	264 770	—	264 770	6 406 230
f)	Madras building fund	-do-	729 194	—	141 740	—	141 740	587 454
g)	GATT project fund	-do-	-24 000	274 000	—	—	—	250 000
h)	Extention of HQ building	-do-	1 579 397	—	823 359	—	823 359	756 038
i)	Lab. building Lucknow	-do-	1 900 000	—	—	—	—	1 900 000
	TOTAL		12 599 623	13 122 306	3 132 945	283 066	3 416 011	22 305 918
2.	Employee Funds							
a)	Gratuity fund	—	412 418	—	—	99 000	99 000	313 418
b)	Benevolent fund	—	309 425	191 883	—	120 000	120 000	381 308
c)	Pension fund	—	29 945 164	2 870 602	—	10 966 518	10 966 518	21 849 248
d)	G.P.Fund	—	—	154 931 735	—	27 561 278	27 561 278	127 370 457
e)	C.P.Fund	—	—	4 758 319	—	580 795	580 795	4 177 524
	TOTAL		30 667 007	162 752 539	0	39 327 591	39 327 591	154 091 955
3.	Other Specific Projects							
a)	QAWSM	Ministry of Agriculture (Deptt. of Rural Deve-lopment)	482 932	1 000 000	—	662 571	662 571	820 361
b)	Energy Conservation Awareness Programme (Deptt. of Power)	Ministry of Energy (Deptt. of Power)	10 291	1478	—	—	—	11 769
d)	World Bank Loan Redemption Fund	—	10 744 531	6 125 144	—	—	—	16 869 675
	TOTAL		11 237 754	7 126 622	0	662 571	662 571	17 701 805
	GRAND TOTAL		54 504 384	183 001 467	3 132 945	40 273 228	43 406 173	194 099 678





SCHEDULE P — LOANS

Nature of Loan	As on 31 March 92	During Receipts	1992-93 Repayment
i) Loans from Govt. of India			
1. Conveyance loan	3 050 000	—	1 200 000
2. House Building Loan	3 050 000	—	—
TOTAL	6 100 000	—	1 200 000
ii) Loans from other sources			
1. World Bank	7 000 000	—	—
TOTAL	7 000 000	—	—
GRAND TOTAL	13 100 000	—	1 200 000



SCHEDULE T — CURRENT LIABILITIES

SI No.	Particulars	Current Year 1992-93	Previous Year 1991-92
1.	Sundry creditors		
	a) Inland	3 693 293	2 873 358
	b) Abroad	7 421 140	5 829 896
	c) Earnest Money	2 640 559	2 449 647
	d) Customer balances (sales)	1 169 840	911 270
	e) Customer balances (certification)	2 672 725	1 947 862
2.	Accounts Payable (employees)	260 535	394 393
3.	Unpaid Salaries and Wages	49 519	48 497
4.	Govt. of Bihar (a/c Lab. Equipment)	395 526	395 526
5.	Govt. of Gujarat (ABO Building a/c)	4 244 387	4 144 328
	TOTAL	22 547 524	18 994 777



ANNEX B

Principal Officers of the Bureau, Executive Committee, Advisory Committees and the Directorate General (As on 31 March 1993)

Bureau of Indian Standards

President	Shri A.K. Antony Union Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution
Vice-President	Shri Kamaluddin Ahmed Union Minister of State for Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution
Director General	Lieut General A.S. Bhullar

Executive Committee

Chairman	Lieut General A.S. Bhullar
----------	----------------------------

Finance Committee

Chairman	Shri M. Seetharam Additional Secretary, Financial Advisor, Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution
----------	--

Certification Advisory Committee

Chairman	Shri N.S. Choudhary Secretary Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution
----------	--

Laboratory Advisory Committee

Chairman	Brig. S.R. Puranik (Retd.) Director, Automobiles Research Association of India, Pune
----------	--

Planning and Development Advisory Committee

Chairman	Lieut General A.S. Bhullar
----------	----------------------------



BIS Directorate General

Director General

Lieut General A.S. Bhullar

Additional Directors General

Shri N. Srinivasan(Marks)
Shri P.S. Das(Technical)

Deputy Directors General (HQ)

Shri S.P. Sachdev(Laboratory)
Shri S.K. Karmakar(Central Region)
Shri G. Raman (Technical)
Shri R.I. Midha(Administration/Technical)
Smt Aruna Bhatia(Finance)
Shri Vinod Dhamija(Vigilance)

Departments

Accounts
Building Maintenance and Project
Bureau Secretariat
Consumer Affairs
Central Laboratory

Central Marks(I)
Central Marks(II)
Enforcement
Chemical
Civil Engineering
Computer Centre
Electronics and Telecommunication
Electrotechnical
Finance
Food and Agriculture
Foreign Lanugages
General Administration
Heavy Mechanical Engineering
Hindi Unit
International Relations
Legal, Enforcement and Co-ordination
Library Services Centre
Light Mechanical Engineering
Marks (Delhi) I
Marks (Delhi) II
Management and Systems
Medical Equipment and Hospital Planning
Metallurgical Engineering
Personnel Management

Petroleum, Coal and Related Products

Director(s)/Incharge

Shri G.L. Sachdev
Shri W.D. Sachdeva
Shri K.K. Bhojwani
Shri V.K.Kapoor
Shri K.K. Goel
Shri B.V.H.S. Swami
Shri S.K. Choudhury
Shri D. Mukhopadhyay

Shri M.B. Reddy
Shri J. Venkataraman
Shri B.C. Kapur
Dr R.K. Singh
Shri Y.R. Taneja
Shri N. Sankar
Shri S.R. Keshav
Shri T.C.Kapoor
Shri S.K. Datta
Shri A. Govindan
Shri S.A. Velou
Shri Shanti Swarup
Shri D.K. Agrawal
Shri V.K. Jain
Shri A.R. Banerjee
Shri D.K. Singh
Shri B.D. Pandey
Shri S.M. Bhatia
Shri V.K. Jain
Shri J.R. Mehta
Shri S. Krishnamurthy
Shri D.L. Gosain
Shri B.C. Sinha
Shri B. Mukherji
(Personnel)
Shri G.V. Rayudu
(Establishment)
Shri D.K. Datta



Departments

Planning and Co-ordination
Printing and Distribution
Production Engineering
Publications
Public Relations
Quality Assurance on Water Supply Mission
Quality Systems
River Valley Projects
Sales
Science and Technology Project
Standards Promotion
Technical Information Services Centre
Textile
Training and Consultancy
Transport Engineering

Director(s)/Incharge

Shri Sohrab
Shri M.L. Malik
Shri V. Subramany
Dr R.B. Mathur
Shri B.N. Mukherji
Shri K. Raghavendran
Shri S. Chandrasekharan
Shri K.M. Mathur
Shri J.K. Bhavnani
Shri Vinod Kumar
Shri R.K. Dua
Shri J.C. Gera
Shri K.C. Sharma
Shri Y.K. Bhat
Shri N. S. Vijayaraghavan

Eastern Regional Office

Deputy Director General

Shri S.K. Bhattacharyya
(Holding charge of DDG)

Directors

Shri R.L. Reddy
Shri P.K. Chatterjee
Shri S. Banerjee

Northern Regional Office

Deputy Director General

Shri D.S. Ahluwalia
(Holding charge of DDG)

Directors

Shri R.C. Jain
Shri S.P. Abbey
Shri A.N. Jauhari

Southern Regional Office

Deputy Director General

Shri P. Venkataraman
(Holding charge of DDG)

Directors

Shri T.S. Subramanian
Shri P. Dakshina Murty
Shri S. Aravamudhan

Western Regional Office

Deputy Director General

Shri L.G. Banerji

Directors

Shri G.S. Abhyankar
Shri Harcharan Singh
Shri K.M. Bhatia
Shri P.P. Ramakrishnan



2. Summary of Transactions

A summary of Income & Expenditure of the Bureau for the year 1991-92 and 1992-93 is given below :

(Rupees in lakhs)

Income	1991-92	1992-93
1. Certification Fee	1 801.04	2 187.87
2. Sale of Standards	154.72	165.92
3. Other Income	35.90	68.20
	<u>1 991.66</u>	<u>2 421.99</u>
Expenditure		
1. Pay & allowances	1 052.76	1 210.99
2. Retirement Benefits	7.56	7.37
3. Other Staff Benefits	59.63	57.45
4. Travelling Expenses	66.97	69.29
5. Subscription to International Organization	107.41	108.89
6. Production	56.65	61.34
7. Testing	124.66	155.31
8. Publicity	16.24	20.54
9. Office expenses	187.88	192.81
10. Repairs & Maintenance	48.43	55.57
11. Other expenses	58.64	53.63
12. Depreciation	136.18	119.37
13. World Bank Project Revenue Expenses	7.08	50.65
14. Appropriation to World Bank Laon Redumption Fund	50.00	50.00
	<u>1 980.09</u>	<u>2 213.21</u>
Surplus/Deficit		
(+) (-)	(+) 11.57	(+) 208.78

3. Comments on Account

3.1 Income & Expenditure Account

A sum of Rs 353 121.78 representing excess of income over expenditure against the CP Fund balances as on 31.3.1993 was payable/transerable to BIS main account as 'Miscellaneous Income' but the same was not done resulting in under statement of income to that extent.

The Bureau, however, stated (August 1993) that the surplus in CP Fund would be transferred to BIS main account during 1993-94.

3.2 Balance Sheet

Outstanding advances for store purchase - Rs 156.88 lakhs

Rs. 156.88 lakhs representing advances for the purchase of stores were pending for recovery/adjustment from various officials and private parties as per breakup given below :



Advance outstanding against

(Rupees in lakhs)

Year	Officials		Private Parties		Total	
	No. of Items	Amount	No. of Items	Amount	No. of Items	Amount
Up to						
1989-90	3	0.01	24	27.90	27	27.91
1990-91	10	0.13	16	28.03	26	28.16
1991-92	40	0.89	35	20.48	75	21.37
1992-93	173	11.21	65	68.23	238	79.44
Total	226	12.24	140	144.64	366	156.88

Out of the total outstanding of Rs 156.88 lakhs, Rs 86.23 lakhs pertained to laboratory equipment, Rs 51.82 lakhs to building construction and the balance of Rs 18.83 lakhs to other stores.

Bureau stated (October 1993) that a sum of Rs 42.39 lakhs had since been adjusted leaving a balance of Rs 114.49 lakhs and efforts were being made to adjust the same.

3.3 Non-depiction/non-maintenance of stock of standards.

The publication of standards brought out by the Bureau have been classified into 15 groups. These publications are priced ranging from Rs 10/- to Rs 100/- per standard. The expenditure on printing of standards and receipt from the sale of standards during the year 1992-93 was Rs 42.40 lakhs and Rs 165.92 lakhs respectively. The stock accounts of standards under group 10 to 15 have been maintained by the BIS but no stock accounts were maintained in respect of publications falling under group 1 to 9 which are priced between Rs 10/- and Rs 60/- per standard.

In reply, BIS stated (May 1993) that there are a large number of standards involved (more than 15 000 standards in force as on date) and maintenance of detailed stock account is a very stupendous task. This will need a large complement of staff resulting in considerable administrative expenditure, disproportionate to economic benefits likely to accrue from the system.

The valuation of the stock of standards as on 31st March 1993 was not done by the BIS and shown in their annual accounts. Thus the position of stock was understated in the annual accounts.

Place : New Delhi
Dated : 11.11.1993

Sd/-
Principal Director of Audit



निम्न के प्रति असमाशोधित अग्रिम

(रु. लाखों में)

वर्ष	सरकारी कर्मचारी		निजी पार्टियां		कुल योग	
	मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
तक						
1989-90 तक	3	0.01	24	27.90	27	27.91
1990-91 तक	10	0.13	16	28.03	26	28.16
1991-92 तक	40	0.89	35	20.48	75	21.37
1992-93 तक	173	11.21	65	68.23	238	79.44
योग :	226	12.24	140	144.64	366	156.88

कुल रु.156.88 बकाया राशि में से रु.86.23 लाख प्रयोगशाला उपस्कर रु.51.82 लाख भवन निर्माण और शेष रु.18.83 लाख अन्य स्टोर से संबंधित है।

ब्यूरो ने (अक्टूबर 1993) बताया कि रु.42.39 लाख की राशि समायोजित की जा चुकी थी, रु.114.49 लाख की राशि अभी शेष थी और इस राशि को समायोजित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

3.3 मानकों से स्टॉक का उल्लेख न किया जाना/रखरखाव न किया जाना।

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मानकों का प्रकाशन 15 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रकाशनों का मूल्य 10 रु. से लेकर 100 रु. प्रति मानक की रेंज में है। वर्ष 1992-93 के दौरान मानकों के मुद्रण पर होने वाला व्यय तथा मानकों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां क्रमशः रु.42.40 लाख तथा 165.92 लाख थी। समूह 10 से 15 के अन्तर्गत आने वाले मानकों का स्टॉक-लेखा, भा मा ब्यूरो द्वारा रखा जाता है लेकिन समूह 1 से लेकर 9 के अन्तर्गत आने वाले प्रकाशनों के बारे में कोई भी स्टॉक-लेखा नहीं रखा गया, इसकी कीमत रु.10 से लेकर रु.60 प्रति मानक के बीच में है।

इनके उत्तर में भा मा ब्यूरो ने (मई 1993) बताया कि मानकों की संख्या बहुत बड़ी है (इसमें 15 000 से अधिक मानक लागू हैं) और इस विस्तृत स्टॉक लेखा का रख-रखाव बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में पूरक स्टॉफ की जरूरत होगी जिससे इस तंत्र से उद्भूत आर्थिक लाभ, इसके परिणामस्वरूप बढ़ने वाले प्रशासनिक व्यय के समानुपातिक नहीं होंगे।

31 मार्च 1993 को मानकों से स्टॉक का मूल्यांकन भा मा ब्यूरो द्वारा नहीं किया गया और उनके वार्षिक लेखा में दिखाया गया। इसलिए वार्षिक लेखा में स्टॉक की स्थिति कम करके बतायी गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.11.1993

हस्ता.
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा



2. लेन-देन सारांश

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए ब्यूरो की आय व्यय का सारांश निम्नलिखित है :

(रुपये लाखों में)

आय	1991-92	1992-93
1. प्रमाणन शुल्क	1 801.04	2 187.87
2. मानकों की बिक्री	154.72	165.92
3. अन्य आय	35.90	68.20
	<u>1 991.66</u>	<u>2 421.99</u>
व्यय		
1. वेतन व भत्ते	1 052.76	1 210.99
2. सेवानिवृति लाभ	7.56	7.37
3. स्टाफ को देय अन्य लाभ	59.63	57.45
4. यात्रा व्यय	66.97	69.29
5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को चन्दा	107.41	108.89
6. उत्पादन	56.65	61.34
7. परीक्षण	124.66	155.31
8. प्रचार	16.24	20.54
9. कार्यालय व्यय	187.88	192.81
10. मरम्मत व अनुरक्षण	48.43	55.57
11. अन्य व्यय	58.64	53.63
12. मूल्यह्रास	136.18	119.37
13. विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय	7.08	50.65
14. विश्व बैंक ऋण राजस्व व्यय बंधक निधि में विनियोजन	50.00	50.00
	<u>1 980.09</u>	<u>2 213.21</u>
शेष घटा		
(+) (-)	(+) 11.57	(+) 208.78

3. लेखों पर सम्मतियाँ :

3.1 31 मार्च 1993 को अंशदायी भविष्य निधि शेष के विरुद्ध दिखाई गई रु.353 121.78 की राशि का आय से अधिक व्यय, भामाब्यूरो के मुख्य खाते में विविध आय के रूप में भुगतान/स्थानान्तरण किया जाना था, परन्तु यह नहीं किया गया इसलिये उतनी मात्रा में आय का आकलन कम हो गया।

फिर भी ब्यूरो ने बताया (अगस्त 19 93) कि अंशदायी भविष्य निधि का शेष वर्ष 1993-94 के दौरान भामाब्यूरो के मुख्य खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

3.2 तुलन पत्र

स्टोर खरीद के लिये बकाया अग्रिम रु.156.88 लाख

स्टोर खरीद के लिये रु.156.88 लाख का दिखाया गया अग्रिम विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और निजी पार्टियों से निम्नलिखित के अनुसार वापस लेने एडजस्ट करने के लिये शेष था :

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय मानक ब्यूरो के 31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च 1993 के तुलन पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्यक्तियों के अध्यक्षीय अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिए गए उल्लेख के अनुसार ये लेख और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.11.1993

हस्ता.
(बी. श्रीकंठन)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

वर्ष 1992-93 के लिये भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के पालन हेतु भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1987 को संबैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद इसने भारतीय मानक संस्था द्वारा किये जाने वाले सभी कार्य यथा उत्पाद प्रमाणन, गुणता आश्वासन, परामर्श-सेवा, परीक्षण आदि अपने हाथ में ले लिये।

ब्यूरो की गतिविधियों के लिये वित्तीय व्यवस्था, प्रमाणन मुहर शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री और केन्द्रीय सरकार के अनुदान के माध्यम से की जाती है।

ब्यूरो के सभी लेखों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक और लेखा परीक्षक महानिदेशक (के कर्त्तव्य शक्तियाँ और सेवा स्थिति) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 22(2) के अन्तर्गत की गई थी।



शाखा कार्यालय

अहमदाबाद
बंगलौर
भोपाल
भुवनेश्वर
कोयम्बतूर
फरीदाबाद
गाजियाबाद
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
कानपुर
लखनऊ
पटना
तिरुवनन्तपुरम

निरीक्षण कार्यालय

औरंगाबाद
भिलाई
दुर्गापुर
जमशेदपुर
नागपुर
पुणे
राजकोट
राउरकेला
बड़ोदरा

निदेशक/प्रभारी

श्री एस.सी. कालरा
श्री एल. रामचंद्र राय
श्री वी.एस. माथुर
श्री सी.के. बेबर्ता
श्री सी.वी. रविन्द्रन
श्री ओ.पी. खल्लर
श्री डी.आर. कोहली
श्री पी.के. मलिक
श्री एम.एस. गागराज
श्री बी.एल. रैना
श्री आर.एन. शर्मा
श्री सतीश चंदर
श्री विजय
श्री पी. रवीन्द्रनाथन

श्री एस.एल. पल्कर
श्री के.के. वशिष्ठ
श्री ओ.एन. दास गुप्ता
श्री नीलमणि मित्र
श्री पी.एस. बुडें
श्री सी. गोपालकृष्ण
श्री के.के. चौधरी
श्री के. मोहनन
श्री जगदीश चन्द्र



विभाग

योजना और समन्वय
मुद्रण एवं वितरण
उत्पादन इंजीनियरी
प्रकाशन
जनसंपर्क
गुणता आश्वासन पर जल पूर्ति मिशन
गुणता तंत्र
नदी घाटी परियोजना
विक्रय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना
मानक संवर्धन
तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र
वस्त्रादि
प्रशिक्षण एवं परामर्श
परिवहन इंजीनियरी

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय

उपमहानिदेशक

निदेशक

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

उपमहानिदेशक

निदेशक

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय

उपमहानिदेशक

निदेशक

पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय

उपमहानिदेशक

निदेशक

निदेशक/प्रभारी

श्री सोहराब
श्री एम.एल. मलिक
श्री वी. सुब्रामणि
श्री आर.बी. माथुर
श्री बी.एन. मुखर्जी
श्री के. राघवेन्द्रन
श्री एस. चंद्रशेखरन
श्री के.एम. माथुर
श्री जे.के. भवनानी
श्री विनोद कुमार
श्री आर.के. दुआ
श्री जे.सी. गेरा
श्री के.सी. शर्मा
श्री वाई.के. भट्ट
श्री एन.एस. विजयराघवन

श्री एस.के. भट्टाचार्य
(उ.म.नि. का कार्यभार संभाल रहे हैं)

श्री आर.एल. रेड्डी
श्री पी.के. चैटर्जी
श्री एस. बैनर्जी

श्री डी.एस. अहलूवालिया
(उ.म.नि. का कार्यभार संभाल रहे हैं)

श्री आर.सी. जैन
श्री एस.पी. एबे
श्री ए.एन. जौहरी

श्री पी. वेंकटरामन
(उ.म.नि. का कार्यभार संभाल रहे हैं)

श्री टी.एस. सुब्रमण्यन
श्री पी. दक्षिणमूर्ति
श्री एस. अरवामुदन

श्री एल.जी. बैनर्जी

श्री जी.एस. अभ्यंकर
श्री हरचरण सिंह
श्री के.एम. भाटिया
श्री पी.पी. रामकृष्णन



भा मा ब्यूरो महानिदेशालय

महानिदेशक

अपर महानिदेशक

उपमहानिदेशक (मुख्यालय)

विभाग

लेखा

भवन रखरखाव तथा परियोजना

ब्यूरो सचिवालय

उपभोक्ता मामले

केन्द्रीय प्रयोगशाला

केन्द्रीय मुहर (I)

केन्द्रीय मुहर (II)

प्रवर्तन

रसायन

सिविल इंजीनियरी

कम्प्यूटर केन्द्र

इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार

विद्युत तकनीकी

वित्त

खाद्य एवं कृषि

विदेशी भाषा

सामान्य प्रशासन

भारी यांत्रिक इंजीनियरी

हिन्दी यूनिट

अंतर्राष्ट्रीय संपर्क

विधि, प्रवर्तन एवं समन्वय

पुस्तकालय सेवा केन्द्र

हल्की यांत्रिक इंजीनियरी

मुहर (दिल्ली) I

मुहर (दिल्ली) II

प्रबंध और तंत्र

चिकित्सा उपस्कर और अस्पताल आयोजन

धातुकर्म इंजीनियरी

कार्मिक प्रबंध

पेट्रोलियम, कोयला और संबद्ध उत्पाद

लेफ्ट. जन. ए.एस. भुल्लर

श्री एन. श्रीनिवासन (मुहर)

श्री पी.एस. दास (तकनीकी)

श्री एस.पी. सचदेव (प्रयोगशाला)

श्री एस.के. कर्मकार (मध्य क्षेत्र)

श्री जी. रमन (तकनीकी)

श्री आर.आई. मिट्टुडा (प्रशासन/तकनीकी)

श्रीमती अरुणा भाटिया (वित्त)

श्री विनोद धमीजा (सतर्कता)

निदेशक/प्रभारी

श्री जी.एल. सचदेव

श्री डब्ल्यू.डी. सचदेव

श्री के.के. भोजवानी

श्री वी.के. कपूर

श्री के.के. गोयल

श्री बी.वी.एच.एस. स्वामी

श्री एस.के. चौधरी

श्री डी. मुखोपाध्याय

श्री एम.बी. रेड्डी

श्री जे. वेंकटरमन

श्री बी.सी. कपूर

डॉ. आर.के. सिंह

श्री वाई.आर. तनेजा

श्री एन. शंकर

श्री एस.आर. केशव

श्री टी.सी. कपूर

श्री एस.के. दत्ता

श्री ए. गोविन्दन

श्री एस.ए. वेलु

श्री शांति स्वरूप

श्री डी.के. अग्रवाल

श्री वी.के. जैन

श्री ए.आर. बैनर्जी

श्री डी.के. सिंह

श्री बी.डी. पांडे

श्री एस.एम. भाटिया

श्री वी.के. जैन

श्री जे.आर. मेहता

श्री एस. कृष्णमूर्ति

श्री डी.एल. गोसाई

श्री बी.सी. सिन्हा

श्री बी. मुखर्जी (कार्मिक)

श्री जी.वी. रायडु (स्थापना)

श्री डी.के. दत्ता



अनुबंध ख

ब्यूरो, कार्यकारिणी समिति, सलाहकार समिति और महानिदेशालय के प्रमुख अधिकारी (31 मार्च 1993 को)

भारतीय मानक ब्यूरो

अध्यक्ष

श्री ए.के. एंटोनी
केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले,
और सार्वजनिक वितरण मंत्री

उपाध्यक्ष

श्री कमालुद्दीन अहमद
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले,
सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

महानिदेशक

लेफ्टि. जन. ए.एस. भुल्लर

कार्यकारी समिति

अध्यक्ष

लेफ्टि. जन. ए.एस. भुल्लर

वित्तीय समिति

अध्यक्ष

श्री एम. सीताराम
अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार,
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

प्रमाणन सलाहकार समिति

अध्यक्ष

श्री एन.एस. चौधरी
सचिव
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

प्रयोगशाला सलाहकार समिति

अध्यक्ष

ब्रिगेडियर एस.आर. पूर्णिक (सेवा निवृत्त)
निदेशक,
ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोशियेशन ऑफ इंडिया,
पुणे

आयोजना तथा विकास सलाहकार समिति

अध्यक्ष

लेफ्टि. जन. ए.एस. भुल्लर



अनुसूची टी – चालू देयताएँ

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1.	फुटकर देनदारियाँ		
	क) देश में	3 693 293	2 873 358
	ख) विदेश में	7 421 140	5 829 896
	ग) बयाना राशि	2 640 559	2 449 647
	घ) ग्राहक बकाया (बिक्री)	1 169 840	911 270
	ड) ग्राहक बकाया (प्रमाणन)	2 672 725	1 947 862
2.	भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के)	260 535	394 393
3.	अप्रदत्त वेतन और मजदूरी	49 519	48 497
4.	बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता)	395 526	395 526
5.	गुजरात सरकार (अ.शा.का. भवन खाता)	4 244 387	4 144 328
	योग	22 547 524	18 994 777



अनुसूची एस – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1.	स्टॉक (लागत पर)		
	क) छपाई का कागज	1 399 671	887 946
	ख) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर	1 439 727	1 412 237
	ग) स्टेशनरी तथा कम्प्यूटर पर व्यय	815 972	962 896
	घ) मरम्मत और रखरखाव पर व्यय	111 767	37 772
2.	फुटकर लेनदारियाँ		
	क) प्रकाशनों की बिक्री	1 197 516	1 815 593
	ख) प्रमाणन		
	i) लाइसेंस शुल्क	10 230	3 009
	ii) निरीक्षण प्रभार	252 704	191 209
	iii) मुहरांकन शुल्क	6 710 852	6 066 039
3.	ऋण अग्रिम और जमा		
	क) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण		
	i) वाहन की खरीद के लिए	3 629 238	3 251 918
	ii) आवास निर्माण के लिए	2 189 518	3 107 112
	ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण		
	i) त्यौहार	371 105	246 245
	ii) प्राकृतिक आपदाएँ	58 300	—
	iii) यात्रा व्यय	1 461 190	876 436
	iv) छुट्टी यात्रा	402 912	296 143
	v) स्टोर की खरीद	496 884	489 653
	vi) समायोज्य अग्रिम	727 379	640 018
	vii) वसूली योग्य लेखे (अन्य)	1 140 346	1 091 138
	viii) पंखा अग्रिम	1 520	840
	ग) निम्नलिखित को अग्रिम		
	i) प्राइवेट पार्टियाँ	14 464 127	11 333 313
	ii) विदेशी पार्टियाँ	—	—
	iii) सरकारी और अन्य	460 227	628 548
4.	प्रतिभूति जमा	1 037 428	841 272
5.	पूर्वदप्रदत्त व्यय	518 186	450 620
6.	स्रोत पर काटा गया कर	546 168	173 591
7.	कैश तथा बैंक शेष	47 781 193	31 174 771
	क) बैंक में	232 349	244 418
	ख) हाथ में (इम्प्रेस्ट सहित)	55 542	53 718
	ग) फ्रेंकिंग मशीन	1 574 215	683 200
	घ) पारवहन में चैक		
	योग	89 086 266	66 959 655



अनुसूची आर – निवेश (लागत पर)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 92 तक स्थिति	जमा	कटौतियाँ (बिक्री/ परिपक्वता)	31 मार्च 93 को स्थिति
1.	बैंक में जमा				
	क) ग्रेच्युटी निधि खाता	419 000	—	—	419 000
	ख) अन्य	20 594 000	21 805 434	—	42 399 434
2.	पेंशन निधि	29 307 750	—	8 700 000	20 607 750
3.	सा.भ. निधि	—	126 437 753	—	126 437 753
4.	अंश. भ. निधि	—	4 010 095	—	4 010 095
5.	विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि निवेश खाता	10 500 000	6 050 000	—	16 550 000
	योग	60 820 750	158 303 282	8 700 000	210 424 032

अनुसूची क्यू - स्थिर परिसंपत्तियाँ

क्रम विवरण सं.	सकल ब्लॉक मूल्य के अनुसार			मूल्यह्रास			नेट ब्लॉक			
	31 मार्च 92 को स्थिति	जमा	घटा बिक्री/ बट्टे खाते	31 मार्च 93 को स्थिति	31 मार्च 92 तक	जमा	घटा बिक्री/ बट्टे खाते	31 मार्च 93 तक	31 मार्च 93 को स्थिति	31 मार्च 92 की स्थिति
1. भवन-मुख्यालय	4 921 703	—	—	4 921 703	3 225 634	83 254	—	3 308 888	1 612 815	1 696 069
2. भवन-I मद्रास	1 133 556	—	—	1 133 556	532 266	30 445	—	562 711	570 845	601 290
3. भवन-II मद्रास	8 070 787	141 740	—	8 212 527	448 789	428 912	—	877 701	73 334 826	7 621 998
4. साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला भवन	14 365 960	—	—	14 365 960	3 766 046	608 581	—	4 374 627	9 991 333	10 599 914
5. भवन-बंबई	5 274 900	—	—	5 274 900	2 190 525	161 381	—	2 351 906	2 922 994	3 084 375
6. भवन-I कलकत्ता	3 112 635	—	—	3 112 635	1 351 296	92 690	—	1 443 986	1 668 649	1 761 339
7. भवन-II कलकत्ता (डब्ल्यू आई पी पूंजी)	8 580 333	26 343	—	8 606 676	—	—	—	—	8 606 676	8 580 333
8. रिहायशी फ्लैट	7 355 581	264 770	—	7 620 351	991 552	449 303	—	1 440 855	6 179 496	6 364 029
9. जीरोक्स कापी उपस्कर	185 598	—	—	185 598	181 241	1 089	—	182 330	3 268	4 357
10. प्रयोगशाला उपस्कर	94 502 517	1 876 734	—	96 379 251	63 691 323	7 468 386	—	71 159 709	25 219 542	30 811 194
11. फर्नीचर और उपस्कर	20 499 465	1 340 422	—	21 839 887	12 823 515	1 518 134	—	14 341 649	7 498 238	7 675 950
12. वाहन	1 572 950	—	—	1 572 950	988 274	116 935	—	1 105 209	467 741	584 676
13. रिप्रोग्राफी उपस्कर	1 128 929	—	—	1 128 929	881 810	61 567	—	943 377	185 552	247 119
14. पुस्तकालय में पुस्तकें	5 419 887	702 986	1 541	6 121 332	—	—	—	—	6 121 332	5 419 887
15. मुख्यालय-मानक भवन में सभागार का विस्तार	1 300 000	142 902	—	1 442 902	408 876	126 023	—	534 899	908 003	891 124
16. मुख्यालय-भवन में अग्नि शमन परियोजना का विस्तार (डब्ल्यू आई पी पूंजी)	1 651 131	680 457	—	2 331 588	—	—	—	—	2 331 588	1 651 131
17. लखनऊ कार्यालय में प्रयोगशाला भवन एवं कार्यालय भवन (डब्ल्यू आई पी पूंजी)	119 472	—	—	119 472	—	—	—	—	119 472	119 472
18. विश्व बैंक परियोजना उपस्कर	2 961 994	989 940	—	3 951 934	720 683	789 979	—	1 510 662	2 441 272	2 241 311
योग	182 157 398	6 166 294	1 541	188 322 151	92 201 830	11 936 679	—	104 138 509	84 183 642	89 955 568





अनुसूची पी – ऋण

ऋण की प्रकृति	31 मार्च 92 की स्थिति	दौरान पुनर्भुगतान	वर्ष 1992-93 के प्राप्तियाँ	31 मार्च 93 को शेष
i) भारत सरकार से प्राप्त ऋण				
1. वाहन ऋण	3 050 000	—	1 200 000	1 850 000
2. आवास निर्माण ऋण	3 050 000	—	—	3 050 000
योग	6 100 000	—	1 200 000	4 900 000
ii) अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण				
1. विश्व बैंक	7 000 000	—	—	7 000 000
योग	7 000 000	—	—	7 000 000
कुल योग	13 100 000	—	1 200 000	11 900 000



अनुसूची के – कार्यालय व्यय

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. स्टेशनरी	2 890 206	2 466 818
2. डाक व्यय	1 923 816	1 814 433
3. टेलीफोन और टेलेक्स	3 101 569	3 338 299
4. भर्ती	58 448	301 482
5. जलपान और मनोरंजन	421 133	349 105
6. वर्दी	280 893	328 812
7. भाड़ा और दुलाई	319 398	324 903
8. बीमा और बैंक प्रभार	600 130	601 032
9. विविध	685 188	940 651
10. किराया और कर	3 499 245	3 758 961
11. बिजली और पानी	5 500 702	4 563 700
योग	19 280 728	18 788 196

अनुसूची एल – मरम्मत और रखरखाव

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. फर्नीचर और उपस्कर	849 177	777 527
2. भवन	4 063 625	3 625 116
3. वाहन	643 877	440 584
योग	5 556 679	4 843 227

अनुसूची एम – अन्य व्यय

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. अनुसंधान और परामर्श	—	137 000
2. सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम	781 893	1 173 655
3. इलैक्ट्रॉनिकी आँकड़ा संसाधन	1 419 759	1 172 701
4. पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय	380 643	530 728
5. लेखा परीक्षा शुल्क और कानूनी कार्यवाही प्रभार	260 743	326 138
6. स्टाफ प्रशिक्षण	779 100	705 814
7. आवास निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज में छूट	1 486 166	1 459 872
8. अन्य ऋणों पर ब्याज		
क) केन्द्र सरकार – वाहन ऋण से	235 000	347 500
ख) अन्य स्रोतों से	—	—
9. डुबन्त ऋण बट्टे खाते में डाला	20 203	10 800
योग	5 363 507	5 864 208



अनुसूची एच – उत्पादन

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. मानक	4 239 810	3 967 591
2. बुलेटिन	675 604	660 905
3. परिकलन सहायकांग और बाइंडर	0	66 522
4. अन्य प्रकाशन	1 218 957	969 733
योग	6,134,371	5 664 751

अनुसूची आई – परीक्षण

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. बाहरी प्रयोगशालाओं को परीक्षण शुल्क का भुगतान	11 700 350	9 236 799
2. प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान	3 130 122	2 502 372
3. बाजार से खरीदे गए नमूने	700 259	726 558
योग	15 530 731	12 465 729

अनुसूची जे – प्रचार

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. प्रदर्शनी	254 530	317 453
2. विज्ञापन	1 213 836	1 164 727
3. श्रव्य-दृश्य और अन्य	585 761	141 508
योग	2 054 127	1 623 688



अनुसूची डी – सेवानिवृत्ति लाभ

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
अंशदान		
1. भविष्य निधि	736 762	756 227
2. पेंशन निधि	—	—
3. ग्रेच्युटी निधि	—	—
योग	<u>736 762</u>	<u>756 227</u>

अनुसूची ई – अन्य स्टाफ लाभ

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. के.सर.स्वा.से. और अन्य चिकित्सा लाभ	2 321 507	3 101 146
2. कर्मचारी कल्याण	2 130 910	1 659 434
3. छुट्टी यात्रा रियायत	1 292 347	1 202 775
योग	<u>5 744 764</u>	<u>5 963 355</u>

अनुसूची एफ – यात्रा व्यय

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. विदेश	38 554	116 047
2. अधिकारी और कर्मचारी	6 748 964	6 419 271
3. समिति सदस्य	141 912	161 368
योग	<u>6 929 430</u>	<u>6 696 686</u>

अनुसूची जी – अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन	6 427 675	6 547 338
2. अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग	4 461 343	4 193 470
योग	<u>10 889 018</u>	<u>10 740 808</u>



अनुसूची ए – मानकों की बिक्री

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. भारतीय मानक	15 501 013	14 279 979
2. परिकलन सहायकांग और वाइंडर	18 580	89 444
3. विदेशी प्रकाशन (कमीशन)	1 072 470	1 102 420
योग	16 592 063	15 471 843

अनुसूची बी – अन्य आय

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा अंशदान	32 513	32 991
2. सम्मेलन, परामर्श तथा परीक्षण शुल्क	509 704	648 847
3. आवास निर्माण ऋण से ब्याज	361 110	344 937
4. विविध		
(क) अन्य स्रोत (खंड 18 (i)(सी) देखें)		
(ख) अन्य	5 916 904	2 562 955
योग	6 820 231	3 589 730

अनुसूची सी – वेतन और भत्ते

	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1. वेतन		
ब्यूरो के सदस्य		
(महानिदेशक के अतिरिक्त)	—	—
महानिदेशक	45 852	41 285
अधिकारी	27 970 515	26 785 837
कर्मचारी	31 863 640	31 878 432
2. भत्ते		
ब्यूरो के सदस्य		
(महानिदेशक के अतिरिक्त)	—	—
महानिदेशक	109 524	49 045
अधिकारी	26 144 042	18 508 007
कर्मचारी	34 965 089	28 013 270
योग	121 098 662	105 275 876



31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

आय

	अनुसूची	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92	
1.	प्रमाणन शुल्क	ए	218 787 149	180 104 642
2.	मानकों की बिक्री	बी	16 592 063	15 471 843
3.	अन्य आय		6 820 231	3 589 730
4.	सरकारी अनुदान		—	—
	योग		242 199 443	199 166 215

व्यय

	अनुसूची	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92	
1.	वेतन और भत्ते	सी	121 098 662	105 275 876
2.	सेवा निवृत्ति लाभ	डी	736 762	756 227
3.	अन्य स्टाफ लाभ	ई	5 744 764	5 963 355
4.	यात्रा व्यय	एफ	6 929 430	6 696 686
5.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदा	जी	10 889 018	10 740 808
6.	उत्पादन	एच	6 134 371	5 664 751
7.	परीक्षण	आई	15 530 731	12 465 729
8.	प्रचार	जे	2 054 127	1 623 688
9.	कार्यालय व्यय	के	19 280 728	18 788 196
10.	मरम्मत व रखरखाव	एल	5 556 679	4 843 227
11.	अन्य व्यय	एम	5 363 507	5 864 208
12.	विश्व बैंक परियोजना			
	राजस्व व्यय	एम 1	5 065 463	707 568
13.	मूल्यह्रास	क्यू	11 936 679	13 618 346
	योग		216 320 921	193 008 665
	अधिशेष/(घाटा)		25 878 522	6 157 550

विनियोजन

निम्न को अंतरण :

विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि

5 000 000

5 000 000

पूँजीगत निधि

20 878 522

1 157 550

योग

25 878 522

6 157 550



अनुबंध "क"

1992-93 वर्ष का लेखा

(आंकड़ों को पूर्ण रूपों में बदल दिया गया)

31 मार्च 1993 का पक्का चिट्ठा

	अनुसूची	चालू वर्ष 1992-93	पिछला वर्ष 1991-92
1.	निधि के स्रोत		
1.1	पूंजी निधि	एन 155 146 738	131 136 812
1.2	रिजर्व और निधियाँ	ओ 194 099 678	54 504 384
1.3	ऋण	पी 11 900 000	13 100 000
	योग	<u>361 146 416</u>	<u>198 741 196</u>
2.	निधियों का उपयोग		
2.1	अचल परिसम्पत्ति	क्यू 84 183 642	89 955 568
2.2	निवेश	आर 210 424 032	60 820 750
3.	कार्यकारी पूंजी		
3.1	चल परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम	एस 89 086 266	66 959 655
3.2	नामे : चालू देयता	टी <u>22 547 524</u>	<u>18 994 777</u>
	योग	<u>66 538 742</u>	<u>47 964 878</u>
		<u>361 146 416</u>	<u>198 741 196</u>

टिप्पणी :

- 1) अनुसूची ए से टी तक लेखे का भाग हैं।
- 2) भारतीय मानकों के क्लोजिंग स्टाक का मूल्य नहीं आंका गया है और लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

हस्ता./-

(लेफ्ट. जन. ए.एस. भुल्लर)
महानिदेशक, भा.मा. ब्यूरो

हस्ता./-

(अरुणा भाटिया)
उपमहानिदेशक वित्त, भा.मा. ब्यूरो

हस्ता./-

(एस.के. दत्ता)
निदेशक (लेखा), भा.मा. ब्यूरो



ब्यूरो लगातार चौथे वर्ष अपने गैर-योजना व्यय को वहन करने के लिए आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा।

राजस्व (गैर-योजना)

इस वर्ष के लेखों से ब्यूरो की अच्छी तस्वीर सामने आती है। इस वर्ष की कुल आय रु.24.22 करोड़ थी जो पिछले वर्ष की आय से 21.6 प्रतिशत अधिक थी। इस आय में सबसे अधिक योगदान प्रमाणन शुल्क का रहा जो रु.21.88 करोड़ था। जबकि पिछले वर्ष यह रु.18.01 था। इस वर्ष रु.21.63 करोड़ का व्यय हुआ था। जबकि वर्ष 1991-92 के दौरान रु.19.30 करोड़ ही खर्च हुए थे, इस तरह से खर्च में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल परिचालन अधिशेष रु.2.59 करोड़ रहा, जो आय का 10.7 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष का परिचालन अधिशेष 3.1 प्रतिशत ही था। विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि खाते में रुपये .50 करोड़ के विनियोजन के बाद निवल अधिशेष रु.2.09 करोड़ रहा।

31 मार्च, 1993 को समाप्त पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान आय में वृद्धि का ग्राफीय प्रदर्शन आकृति 5 में दिया गया है।

पूंजी (योजनागत)

सरकार ने वार्षिक योजना 1992-93 के लिए रु.1.60 करोड़ आबंटित किये।

विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को देखते हुए सरकार ने रु.1.27 करोड़ का अनुदान दिया जो पिछले वर्ष के बिना खर्च किये हुए रु.33 करोड़ के अतिरिक्त था। इन परियोजनाओं तथा इनमें की गयी प्रगति का विवरण "योजनागत परियोजना" नामक अध्याय में दिया गया है।

विश्व बैंक परियोजना


31 मार्च 1993 तक प्राप्त कुल ऋण रु.70 करोड़ का था। इस वर्ष रु.51 करोड़ की राशि राजस्व सम्बन्धी मदों और रु.10 करोड़ की राशि पूंजीगत मदों पर खर्च की गयी।

ऋण

वर्ष के दौरान ब्यूरो के अपने संसाधनों से 74 कर्मचारियों को रु.14 करोड़ का वाहन ऋण दिया गया। गृह निर्माण ऋण (व्याज में छूट) योजना के अन्तर्गत 21 कर्मचारियों ने इस वर्ष इस सुविधा का लाभ उठाया और इस तरह इस योजना को आरम्भ करने से लेकर अब तक 167 कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

लेखा विवरण

वर्ष 1992-93 का लेखा विवरण अनुबन्ध (क) में दिया गया है।





कर्मचारी कल्याण

भा मा ब्यूरो द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपाय जारी रखे गये। कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए होलीडे होम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गयी।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू कल्याणकारी उपाय भी भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गए। ये कल्याणकारी उपाय सामूहिक बीमा योजना तथा सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करना, इत्यादि थे।

प्रशिक्षण

वर्ष 1992-93 के दौरान ब्यूरो ने अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों में निरन्तर प्रगति की। सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुनः वृद्धि हुई और वर्ष 1992-93 के दौरान 55 इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/समन्वित किये गये, जिनमें 1 780 कार्मिकों ने भाग लिया और इनमें 4 413 श्रम दिवस लगे।


ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा विभिन्न बाहरी एजेन्सियों द्वारा आयोजित अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

लाभ, इन विशिष्ट कार्यक्रमों में भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और स्टाफ को प्रति-नियुक्त करके उठाया गया। यह गतिविधि ब्यूरो के कार्य में काफी गहलपूर्ण रही। इसका साक्षात् प्रमाण यह है कि वर्ष 1991-92 के दौरान आयोजित 54 विभिन्न कार्यक्रमों में केवल 79 अधिकारी थे और इसमें 248 श्रम दिवस लगे थे, जबकि इस वर्ष 79 विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 186 अधिकारियों को भेजा गया और इनमें 993 श्रम दिवस लगे। आशा है कि आने वाले वर्षों में ये गतिविधि अधिक बढ़ेगी। तालिका 5 में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है।

तालिका 5 वर्ष 1992-93 के दौरान महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
टिप्पण व आलेखन पर हिन्दी कार्यशाला	1 सप्ताह	46
पर्सनल कंप्यूटर में विगिनस कोर्स		
— अधिकारियों के लिए	84 घंटे	20
— कर्मचारियों के लिए	42 घंटे	52
डी.टी.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रम	42 घंटे	20
कंप्यूटर तंत्र तथा डाटा बेस पर कार्यशाला	3 दिन	12
मुख्यालय तथा बैंगलोर में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित भा.मा. ब्यूरो में IS 14002 के कार्यान्वयन पर जागरूकता कार्यक्रम	2 दिन	71
भा.मा. ब्यूरो में IS 14002 के कार्यान्वयन पर जागरूकता कार्यक्रम	1 दिन	1 078
नई दिल्ली में अग्रणी मूल्यांकनकर्त्ताओं का प्रशिक्षण	1 सप्ताह	75
"लेखन विधियों" पर कार्यशाला	1 दिन	98
"अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार	3 दिन	26
में प्रबन्धकीय दक्षता" पर कार्यकारी विकास कार्यक्रम		
"प्रबन्धकीय दक्षता" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1 सप्ताह	39
"गोपनीय रिपोर्ट कैसे लिखें" विषय पर कार्यशाला	4 घंटे	53
"आगतुकों-व्यक्तिगत रूप में आये हुये अथवा टेलीफोन पर, से	2 दिन	25
किस प्रकार व्यवहार करें		
"स्टाइल मैनुअल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	10 घंटे	14
"कीटनाशी विश्लेषण" पर विशेष कार्यक्रम	2 सप्ताह	19

मानव संसाधन विकास



31 मार्च, 1993 तक भा मा ब्यूरो में कुल 2 332 व्यक्ति नियुक्त थे।

पिछले वर्ष ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में कार्मिकों के नियोजन

का विवरण नीचे दिया गया है :-

गतिविधि	31 मार्च 1993 को कर्मचारियों की संख्या
(क) मानकीकरण (मानकों और अन्य प्रकाशनों का निर्धारण, प्रकाशन, बिक्री और विवरण)	534
(ख) प्रमाणन और गुणता तंत्र	835
(ग) प्रयोगशालाएं	396
(घ) संबर्धनात्मक गतिविधियां (मानक संबर्धन सांख्यिकीय गुणता, तकनीकी सूचना और कंप्यूटर सेवाएं)	84
(ङ) सहायक सेवाएं (कार्मिक प्रबंध, लेखा, सामान्य सेवाएं, भवन रखरखाव और सुरक्षा)	483
योग	2 332

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधान


वर्ष के अंत में विभिन्न संवर्गों के पदों

पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जन-शक्ति 401 थी, जबकि पिछले वर्ष यह जन-शक्ति

406 थी। इस वर्ष के लिए इसका समूहवार विवरण नीचे दिया गया है :-

समूह	31 मार्च, 1993 को अनु.जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
क	62
ख	23
ग	147
घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	126
सफाई कर्मचारी	43
योग	401

योजनागत परियोजना



8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अन्तर्गत प्रयोगशाला और कंप्यूटर नेटवर्क के उन्नयन, गैट-पूछताछ केन्द्र, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परियोजनाओं इत्यादि के लिए रु.15.0 करोड़ का प्रस्तावित बजट प्रारूप रखा है गया। इस समय चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं पर रु..558 करोड़ खर्च हुए। 1992-93 के दौरान की गयी प्रगति का विवरण इस प्रकार है :

क) प्रयोगशाला, कम्प्यूटर तथा अन्य सम्बद्ध उपस्कर

परिष्कृत प्रयोगशाला उपस्कर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज

खरीदने के लिए रु..387 करोड़ खर्च किये गये।

ख) गैट के अन्तर्गत केन्द्रीय पूछताछ केन्द्र

इस परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्मलेखी (माइक्रोग्राफिक) उपस्करों के अतिरिक्त पुर्जे खरीदने के लिए रु..013 करोड़ खर्च किये गये।

ग) मुख्यालय के भवन का विस्तार

इस योजना के अन्तर्गत भूमिगत पानी की टंकी के निर्माण और अग्नि शामक उपस्करों पर रु..082 करोड़ खर्च किये गये।

विश्व बैंक परियोजना

भा मा ब्यूरो की 7 परियोजनाओं के लिए टैकनोलोजी सर्विसज रिवोल्विंग फण्ड के अन्तर्गत विश्व बैंक से ऋण लेने में सफलता मिली।

इस वर्ष, रु..641 करोड़ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री के विकसित करने, भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए आईईसीईईई विशेषज्ञों के भ्रमण, गुणता तन्त्र, सम्परीक्षकों के प्रशिक्षण, प्रतिष्ठित विदेशी प्रयोगशाला में भा मा ब्यूरो के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, गुणता तन्त्र प्रमाणन के संस्थापन और प्रबन्ध योजना के प्रंचालन में खर्च हुए।



उपभोक्ता शिकायत डाटाबेस

सार्वजनिक शिकायतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करने के मामलों में दक्षता लाने के लिए यह कंप्यूटर आधारित तंत्र बनाया और नियत किया गया है। इस गतिविधि की प्रतिदिन के कार्य की मॉनीटरी हेतु प्रचालन के लिए फीडबैक सूचना रिपोर्ट बनाने में यह


डाटाबेस अत्यन्त उपयोगी है।

तंत्र अध्ययन

भारतीय मानक ब्यूरो में व्यापक तंत्रों और नेटवर्क को लागू करने के लिए इलैक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएस) को भारतीय मानक ब्यूरो की अपेक्षाओं का अध्ययन करने और इसकी प्रतिदिन की

कार्यवाही और प्रबन्ध के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित उपयुक्त सूचना तंत्र की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। यह अध्ययन रिपोर्ट भारतीय मानक ब्यूरो के कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन की भविष्य की योजनाओं के साथ वर्तमान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगी।

कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन



वर्ष 1992-93 के दौरान कई कंप्यूटरीकृत तंत्र तथा डाटाबेस बनाये गये और लागू किये गये ताकि ब्यूरो की उत्पादकता में सुधार लाया जा सके और विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में समग्र दक्षता लाई जा सके। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

कंप्यूटरीकरण की सुविधाएँ

विभिन्न कंप्यूटरीकृत तंत्र और अनुप्रयोग-साफ्टवेयर जैसे "कंप्यूटर एडिड इन्फॉर्मेशन" तथा "डेस्क टॉप पब्लिशिंग" के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्यूरो के प्रशिक्षण गृह में सेवा के दौरान ही एकांतिक रूप से प्रशिक्षण देने के लिए 6 पीसी एटी खरीदे गये। ब्यूरो में हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए हिन्दी शब्द संसाधक "अक्षर" की 6 प्रतियाँ खरीदी गईं।

डाटाबेस सेवा

वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे कंप्यूटरीकृत तंत्र को लागू करने पर बल दिया गया जो भारतीय उद्योगों और व्यापार को मानकों और गुणता पर नवीनतम और अद्यतन सूचना देकर उनकी सेवा कर सकें। मानकों पर देश भर के निर्यातकों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं को मूल्य के बदले दी जाने वाली निम्नलिखित डाटाबेस सेवाएँ लागू की गईं।

बायर्स गाइड

भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत शामिल उत्पादों का डाटाबेस "बायर्स गाइड" जो पहले मुद्रित रूप में प्रकाशित की गई थी अब फ्लॉपी पर उपलब्ध है।

मानक डाटाबेस का युगपत् अभिगम (ऑन लाइन असेस)

स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड ओवर की संदर्भ ग्रंथ-सूची पर "मानक संदर्भिका" नामक डाटाबेस को अब टीआईएफ एसीएलआईएनई तथा सीएमसी के इन्डोनेट के माध्यम से युगपत् रूप में असेस किया जा सकता है।

यूरोपीयन-अन्तर्राष्ट्रीय तथा संगत भारतीय मानक डाटाबेस

निर्यात के उन क्षेत्रों, जिनपर भारत द्वारा बल दिया जाना अपेक्षित है, से सम्बद्ध विषयों पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में लागू मानकों, निर्देशों तथा तकनीकी विनियमों के सम्बन्ध में सूचना की पुनः प्राप्ति के लिए यह कंप्यूटरीकृत पृष्ठताछ पर आधारित तंत्र काफी उपयोगी है।

प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में दक्षता के लिए कंप्यूटरीकृत तंत्र

वर्ष 1992-93 के दौरान ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों की योजना, समीक्षा तथा मॉनीटरी के लिए उपयोगी

व्यवस्थित डाटा प्रवाह, सूचना निर्माण तथा प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट के लिए निर्माण के लिए निम्नलिखित कंप्यूटर पर आधारित तंत्र लागू किये गये।

मानक डाटाबेस

भारतीय मानकों पर डाटाबेस अद्यतन करने के साथ-साथ मानक निर्धारण की गतिविधियों की मॉनीटरी के लिए कार्यवाही कार्यक्रम (पॉवर) तथा स्टैंडर्ड्स एक्शन फाइल (एसएएफई)के लिए एक एकीकृत कंप्यूटर तंत्र लागू किया गया। इस तंत्र से भारतीय मानक ब्यूरो के तकनीकी विभागों को बार-बार डाटा तैयार नहीं करना पड़ेगा और मानक सम्बन्धी गतिविधियों की मॉनीटरी अधिक दक्षता से की जा सकती है।

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रकाशनों की बिक्री तथा तालिका प्रबन्ध

क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में भारतीय मानक ब्यूरो के प्रकाशनों की बिक्री तथा तालिका प्रबन्ध की देखरेख के लिए इस कंप्यूटरीकृत तंत्र को पुनः और अधिक समर्थ बनाया गया। इस एकीकृत कंप्यूटरीकृत तंत्र से मानकों के मुद्रण के प्रबन्ध और तालिका बनाने का कार्य दक्षतापूर्वक किया जा सकता है।

भा.मा. ब्यूरो की गतिविधियों में हिन्दी का उपयोग



राजभाषा की राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ने अपनी विभिन्न गतिविधियों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देना जारी रखा। हिन्दी में काम करने में झिझक दूर करने के उद्देश्य से कई हिन्दी की कार्यशालाएं, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की गयीं। भा मा ब्यूरो के कुछ कर्मचारी हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि की परीक्षा में भी बैठे।

हिन्दी सप्ताह

भा मा ब्यूरो के मुख्यालय तथा उसके क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में 14-18 सितम्बर 1992 के दौरान हिन्दी सप्ताह मनाया गया। मुख्यालय में इस दौरान निबन्ध लेखन, टंकण तथा

आशुलिपि की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

अनुवाद


इस वर्ष 15 मानकों का अनुवाद हुआ तथा 35 द्विभाषीय मानक प्रकाशित किये गये। प्रकाशित मानक सामान्य उपभोक्ता की जरूरतों की मदों से संबंधित थे, जैसे - बत्ती वाले लैम्प, दाब रहित चूल्हे, पैंचकस, धातु की कुर्सियाँ, स्टेनलेस इस्पात के बर्तन, जस्तीकृत इस्पात की चदरें तथा जल शोधक यन्त्र।

"भा मा ब्यूरो तथा शिशु सुरक्षा (बीआईएस एण्ड इन्फैंट केयर)" पर पैम्पलैट तथा "लघु क्षेत्र में

मानकीकरण को बढ़ावा (स्ट्रेन्थनिंग स्टैण्डर्डिजेशन इन स्माल स्केल सैक्टर)" नामक विवरणिकाओं का अनुवाद भी किया गया। इसके अतिरिक्त कई प्रमाणन मुहर लाइसेंस, भारतीय मानकों के कई शीर्षक, पत्र तथा प्रेस रिलीज भी अनुदित किये गये।

मानक दूत

हिन्दी की त्रैमासिक पत्रिका "मानकदूत" भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकरण और गुणता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रकाशित की जाती है।



ब्यूरो ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से उपभोक्ता कल्याण के उन्नयन के लिये भा मा ब्यूरो की भूमिका के बारे में उपभोक्ताओं में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सामान्य उपभोक्ता और उपभोक्ता संगठनों के साथ और अधिक घनिष्ठता से परस्पर कार्य करना जारी रखा।

उपभोक्ता संगठनों को मान्यता प्रदान करना

भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना) नियम 1991 के अंतर्गत नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 3 उपभोक्ता संगठनों को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत प्रदान की गयी यह प्रथम मान्यता है। इससे उपभोक्ता संस्थाओं को न्यायलयों में भा मा ब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 34(1) के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार शिकायत दर्ज कराने में सहायता मिलेगी। इस मान्यता से देश में विकसित हो रहे उपभोक्ता आंदोलन को शक्ति मिलेगी। 15 मार्च, 1993 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के लिये भा मा ब्यूरो द्वारा आयोजित समारोह में इन संगठनों में प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। इस समारोह के मुख्य अतिथि ए.के. एंटोनी, केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री थे तथा इस समारोह की अध्यक्षता श्री कमालुद्दीन अहमद, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक

वितरण राज्य मंत्री ने की। इस समारोह में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, उपभोक्ता विवाद सुनवाई आयोग (कन्ज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन) के अध्यक्ष और सदस्यों तथा दिल्ली में स्थित उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उपभोक्ता शिक्षा

भा मा ब्यूरो के अधिकारियों ने सम्मेलनों, कार्यशालाओं, दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा आयोजित पैनल विचार-विमर्श तथा साक्षात्कारों में भाग लिया व उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों, चर्चाओं में भाग लिया और व्याख्यान दिया। उन्होंने केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठकों में भी भाग लिया। यह परिषद् देश में सामान्य उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के प्रयासों को समन्वित करने वाला शीर्ष प्राधिकरण है। भा मा ब्यूरो की मानक मुहर के दुरुपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए हमारे क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अभियान चलाया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे कार्य के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से "स्टैण्डर्ड्स इंडिया" से कन्ज्यूमर न्यूज रिप्रिंट देश में लगभग 400 उपभोक्ता संगठनों को परिचालित किये गये। ब्यूरो के प्रचार आन्दोलन के एक हिस्से के रूप में 2 विवरणिकाएँ जिनके शीर्षक "आर यू एक्विटम ऑफ एनी ऑफ

दीज मिथ्स" तथा "वॉट टू लुक फोर इन दी ISI मार्क", थे, तथा एक पोस्टर जिसका शीर्षक "इलैक्ट्रिक लेम्पस - फेक्ट्स यू शुड नो" प्रकाशित किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो ने कोपालको आईएसओ/आईसीसी काउंसिल कमेटी ऑन कन्ज्यूमर पॉलसी के साथ पारस्परिक संबंध बनाये रखा। "कन्ज्यूमर कम्प्यूनिटी", संख्या 27, अगस्त, 1992, तथा संख्या 28 जनवरी, 1993 के अंक में "करेंट एक्विटीस ऑफ बीआईएस ऑफ इन्टरेस्ट टू कन्ज्यूमर" पर लेख प्रकाशित किये गये।

शिकायतें

वस्तु पर मानक मुहर लगे उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर सतर्कता से अधिक ध्यान देना तथा प्रभावी ढंग से उनकी मॉनीटरी करना, समय पर उनकी सुनवाई करना आदि कार्य जारी रहे।

भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों को अपनी गतिविधियों में घनिष्ठ रूप से जुड़ने और वे इनमें भाग ले सकें इस उद्देश्य से और वास्तविक कार्य करने के दौरान हुए उनके अनुभवों को जानने के लिये एक "सुझाव योजना" आरंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अच्छे सुझावों को मान्यता देने के लिए भा मा ब्यूरो के सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया।



अथवा विभिन्न संवर्गों के पाठकों को ये प्रकाशन जारी किए गए।


पुस्तकालय सेवा केन्द्र ने भा मा ब्यूरो के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में स्थित पुस्तकालयों में पत्रिकाओं और तकनीकी पुस्तकों की आपूर्ति करना जारी रखा। इसके अलावा विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत मैसूर तथा जमशेदपुर में स्थापित सूचना केन्द्रों में भी आवश्यक साहित्य की आपूर्ति

पुस्तकालय द्वारा की गयी। पुस्तकालय ने समीक्षाधीन वर्ष में 10 संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ तैयार कीं। पाठकों को उनके क्षेत्र से संबद्ध सूचना से सुपरिचित कराने के लिए मासिक बुलेटिन "एडीशन्स टू दी लाइब्रेरी" भी नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।

अनुवाद सेवाएं

मानकों, तकनीकी रिपोर्टों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी दस्तावेजों के

लगभग 2 600 पृष्ठों का फ्रांसीसी, जर्मन और रूसी भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त, विदेशी भाषा में उपलब्ध प्रलेखों में दी गई जानकारी से संबद्ध कई पृष्ठों के उत्तर दिए गए और कई लेखों का सारांश भी प्रस्तुत किया गया। पैनल अनुवादकों की सेवा का उपयोग करते हुए विभिन्न भाषाओं से अनुवाद की भी व्यवस्था की गई।



ब्यूरो ने अपने तकनीकी सेवा केन्द्र तथा पुस्तकालय के माध्यम से मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता प्रबन्ध के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य जारी रखा।

तकनीकी सूचना सेवाएं

"गैट पूछताछ केन्द्र तथा आइसोनेट" केन्द्र के रूप में प्राप्त पूछताछों का उत्तर देने के उद्देश्य से मई 1992 में "तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र" (टिस्क) की स्थापना की गई। त.सू.से.के. (टिस्क) ने माँग आदेश देने पर प्रिंट-आउट देने के अतिरिक्त 'मानक सन्दर्भिका' डाटाबेस की 150 ग्रन्थ संदर्भ-सूचियों के आउटपुट दिए और फ्लोपी डिस्कट पर उपलब्ध 101 बायर्स गाइड डाटाबेस बेचे।

उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी देने के लिए नियमित रूप से निम्नलिखित सूचना बुलटिन प्रकाशित की गई हैं :

- स्टैण्डर्ड्स वर्ल्ड ओवर- मासिक संस्करण
- करेंट पब्लिशड इन्फोर्मेशन ऑन स्टैण्डर्डाइजेशन (मासिक)
- ईईसी नार्मस्केन (तकनीकी विधि, मानकीकरण और प्रमाणन में यूरोप में हुए विकास पर नया त्रैमासिकी)

गैट पूछताछ केन्द्र

भारत सरकार ने "एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरीयर्स टू ट्रेड" जिसे "गैट" मानक संहिता के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के समझौते के अन्तर्गत पूछताछ केन्द्र के रूप में भा मा ब्यूरो को नामित किया है। इस केन्द्र के माध्यम से भा मा ब्यूरो "गैट" के सदस्य देशों तथा निर्यातकों को मानकों, विनियमों तथा प्रमाणन तंत्र के बारे में सूचनाएं देता है। पूछताछ केन्द्र में भारतीय मानकों, तकनीकी विनियमों और प्रमाणन तंत्रों के बारे में विदेशों से जानकारी माँगी जाती है। भारतीय उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से पूछताछ केन्द्र ने भारत के व्यक्तियों, उद्योगों और सरकारी एजेंसियों से भारतीय, विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, तकनीकी विनियमों और प्रकाशन तंत्र के बारे में प्राप्त 2 505 पूछताछों के उत्तर भी दिए।

आइसोनेट

भा मा ब्यूरो आईएसओ सूचना समिति (इन्फको) के अन्तर्गत कार्यरत इन्टरनेशनल इन्फोर्मेशन नेटवर्क (आइसोनेट) के कार्यों में सक्रियता से भाग लेता है। यह एक प्रकार का विकेन्द्रीकृत तंत्र है, जिसमें भाग लेने वाले देशों के मानकों और मानक की तरह के अन्य दस्तावेजों के संकलन, सूचकांकन तथा पुनः प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं के लिए प्रत्येक


सूचनाकेन्द्र उत्तरदायी होता है। निर्यातकों को तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य से आइसोनेट मैनुअल के अनुसार भारतीय मानकों का डाटाबेस बनाने की दिशा में भी प्रगति की गई।

पुस्तकालय सेवाएं

समीक्षाधीन वर्ष में मुख्यालय के पुस्तकालय में विदेशी मानक निकायों द्वारा प्रकाशित 16 000 मानक तथा संबद्ध तकनीकी प्रलेख लिए गए और इसके अलावा मानकीकरण के कार्य में लगी हुई विभिन्न विद्वत् सभाओं तथा तकनीकी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रकाशन तथा मानक संकलित किए गए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी हाल ही में प्रकाशित तकनीकी पुस्तकें भी ली गईं। पुस्तकालय के लिए 500 तकनीकी आर्वाधिक पत्रिकाएं भी मँगाई गईं।

इस समय पुस्तकालय सदस्यता योजना के अन्तर्गत लगभग 2 000 सदस्यों को पंजीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान पुस्तकालय को अपने सदस्यों, उद्योगों तथा व्यापारियों से 1 759 पूछताछें प्राप्त हुईं तथा उनका जवाब भी पुस्तकालय ने दिया है। लिखित पूछताछों के अतिरिक्त राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 600 से अधिक आगतुक पुस्तकालय में आये। इन आगतुकों ने लगभग 60 000 प्रकाशनों/मानकों को पढ़ा

प्रकाशनों की बिक्री



ब्यूरो मुख्यालय/क्षेत्रीय/शाखा तथा निरीक्षण कार्यालयों में स्थापित 17 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बिक्री का संचालन करता है। इन बिक्री केन्द्रों का प्रमुख कार्य भारतीय मानकों, विशिष्ट प्रकाशनों, हैंड बुकों, परिकलन सहायक यंत्रों, बाइंडरों तथा एस एंड

टी प्रकाशनों जैसे भा मा ब्यूरो के प्रकाशनों की बिक्री की जाती है और सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों तथा बड़े औद्योगिक संगठनों को ये प्रकाशन उधार भी दिये जाते हैं। भा मा ब्यूरो प्रकाशनों की विदेशी संगठनों, जो जिनमे उनके मानक निकाय भी शामिल हैं,

की बिक्री मुख्यालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा 116 पंजीकृत पुस्तक विक्रेता विक्रय नेटवर्क को और अधिक व्यापक बनाते हैं। ब्यूरो के पास "स्टैण्डर्ड्स अपडेट स्कीम" नामक योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक संगठन से 25 000 हजार रुपये

क्षेत्र	कुल बिक्री (रुपये करोड़ में)
मध्य क्षेत्र (नई दिल्ली, भोपाल, तथा जयपुर)	.4494
पूर्वी क्षेत्र (भुवनेश्वर, कलकत्ता तथा पटना)	.1967
उत्तरी क्षेत्र (चंडीगढ़ तथा कानपुर)	.0797
दक्षिणी क्षेत्र (बंगलौर, कोयम्बतूर, हैदराबाद तथा तिरुवनन्थपुरम)	.4197
पश्चिम क्षेत्र (अहमदाबाद, बम्बई, नागपुर तथा पुणे)	.4152
योग	1.5607

का वार्षिक चंदा लेकर भारतीय मानकों, भा मा ब्यूरो हैंड बुक, पत्रिकाओं, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि की एक-एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाती है।

भारतीय मानकों की बिक्री
1992-93 के दौरान मुख्यालय और

इसके विभिन्न बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचे गये भारतीय मानकों की बिक्री से रुपये 1.56 करोड़ के कुल राजस्व की प्राप्ति हुई, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

विदेशी प्रकाशनों की बिक्री
विदेशी प्रकाशनों की बिक्री मुख्यालय

द्वारा की जाती है। विभिन्न पार्टियों द्वारा प्राप्त विशेष आदेशों के प्रति विभिन्न मानक निकायों से विदेशी मानक प्राप्त किये जाते हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान विदेशी मानकों की कुल बिक्री रु..2215 करोड़ की थी, जिससे रु..1072 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई।



टेकमार्ट 1992 प्रदर्शनी नई दिल्ली में भा मा ब्यूरो की सहभागिता



भा मा ब्यूरो प्रकाशनों का प्रदर्शन



मानकीकरण और गुणता तंत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम





मानक तथा गुणता के क्षेत्र में पोलेन्ड तथा रूस से द्विपक्षीय सहयोग के विषय पर पत्राचार के माध्यम से कार्य किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण, विधि मापिकी तथा प्रयोगशाला

परीक्षण के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम, चार देशों के नौ प्रशिक्षणार्थियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित किये गये। भारत की औद्योगिक इकाइयों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गुणता नियन्त्रण संबंधी गतिविधियों के बारे में भी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बताया गया।

विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणता तंत्र में पच्चीसवाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अक्टूबर से 4 दिसम्बर 1992 के दौरान आयोजित किया गया। इसमें एशिया, लैटिन अमरीका तथा यूरोप के 20 विकासशील देशों के 32 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।



तालिका 4 आईएसओ/आईसी बैठकें - भारत की सहभागिता

समिति	स्थान	तिथि	प्रतिनिधियों की संख्या
आईएसओ/टीसी 34/एससी 8-टी	इस्तानबुल	27-30 अप्रैल 92	1
आईसीसी क्वालिटी एश्योरेंस जैनेवा सिस्टम फॉर इलैक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स (आईसीसीक्यू)	जैनेवा	11-19 मई 92	3
आईएसओ/टीसी 113 एवं इसकी उप-समितियाँ - मैजरमेंट ऑफ लिक्विड फ्लो इन ओपन चैनल्स	पैरिस	14-22 मई 92	3
आईसीसी सिस्टम फॉर कंफोर्मिटी टैस्टिंग टू स्टैण्डर्ड्स ऑफ सैफ्टी ऑफ इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स (आईसीसीईई)	फ्रिबोर्ग	8-12 जून 92	1
आईएसओ/टीसी 28 एवं इसकी उप-समितियाँ - पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लुब्रीकैन्ट्स	फिल्डेल्फिया	8-12 जून 92	2
आईसीसी/टीसी 61 और इसकी उप-समितियाँ - सैफ्टी ऑफ हाऊसहोल्ड एंड सिमिलर इलैक्ट्रिकल एप्लाइसिज	रोटरडम	28-30 सितम्बर एवं 5 अक्टूबर 92	1
आईसीसी/टीसी 42 - हाई वोल्टेज टैस्टिंग टैकनीक	-वही-	1-3 अक्टूबर 92	1
आईसीसी/टीसी 66/एससी 66ई - सैफ्टी ऑफ मैजरींग कंट्रोल एंड लेबोरेट्री इक्विपमेंट	-वही-	7-9 अक्टूबर 92	1
आईएसओ/टीसी 45 और इसकी उप-समितियाँ - रबड़ एंड रबड़ प्रोडक्ट्स	मोन्ट्रियल	26-31 अक्टूबर 92	1
आईएसओ/टीसी 176 और इसकी उप-समितियाँ क्वालिटी मैनेजमेन्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस	ब्रिसबेन	2-7 नवम्बर 92	1
आईएसओ/टीसी 149 उप-समितियाँ - साइकिल्स	टोक्यो	4-6 नवम्बर 92	1
आईएसओ/टीसी 22 - रोड वेहिकल्स	-वही-	11-13 नवम्बर 92	2
आईएसओ/टीसी 34/एससी 7 - स्पाइसीस एण्ड कन्डीमेंट	जकार्ता	17-19 नवम्बर 92	2

उपसमिति की बैठकों में भाग लिया। इनका विवरण तालिका 4 में दिया गया है।

इन्डो-ईईसी सहयोग कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई। इन्डो-ईईसी वर्किंग ग्रुप की बैठक ब्रसेल्स में जून 1992 के दौरान आयोजित की गयी। इस बैठक में निम्नलिखित दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया।

क) प्रयोगशाला तंत्रों का उन्नयन और आधुनिकीकरण

ख) गुणता तंत्र प्रमाणन
ग) सूचना विनिमय


निर्यातकों के लिए राष्ट्रीय सूचना पृष्ठताछ केन्द्र की स्थापना और राष्ट्रीय गुणता अभियान के अलावा, भारत में उत्पाद और गुणता तंत्र प्रमाणन के प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय गुणता परिषद् बनाने के लिये भारत में यूरोपियन एक्सपर्ट ग्रुप की, भारत सरकार की इन्टर-मिनिस्ट्रियल टास्कफोर्स, जिसका भा मा ब्यूरो सदस्य है, के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं। यह इस क्षेत्र में हुआ महत्वपूर्ण विकास था।

भा मा ब्यूरो ने निर्यातकों के लिए राष्ट्रीय सूचना पृष्ठताछ केन्द्र स्थापित किया है। इस उद्देश्य के लिए

भा मा ब्यूरो के तीन अधिकारियों को 'टैक्नीकल हैल्थ टू दी एक्सपोर्ट्स' (टीएचई), बीएसआई यूके द्वारा इन्डो-ईईसी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलाया गया।

द्विपक्षीय सहयोग

भा मा ब्यूरो ने तुर्की, हंगरी, रूस, उक्रेन तथा चीन के साथ सहयोग विषयक प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, गुणता तंत्र के क्षेत्र में संयुक्त प्रमाणन के उद्देश्य से भा मा ब्यूरो तथा यूनाइटेड किंगडम के बीएसआईक्यूए के बीच एक करारनामे पर हस्ताक्षर किये गये। फ्रांस तथा जर्मनी से इसी प्रकार के करारनामों पर चर्चा हुई।



ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एसओ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की विभिन्न तकनीकी और नीति निर्धारक समितियों में भाग लेना जारी रखा। ब्यूरो ने क्षेत्रीय एजेंसियों, जिसमें यूरोपियन इकोनोमिक कमेटी उल्लेखनीय है, के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ करने के प्रयास किये।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

आईएसओ की नीति निर्धारक समितियों में से आईएसओ/कास्को तथा परिषद् की बैठकें हुईं। आईएसओ/कास्को की बैठक में लैफिट. जन. ए.एस. भुल्लर, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो तथा श्री अरविन्द कौल, संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने भाग लिया। इन बैठकों में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, वे मुद्दे थे — आईएसओ विकास योजना तथा मानक और गुणता के क्षेत्र में विश्व की बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ-साथ चलने के लिए आईएसओ का पुर्नगठन। भारत ने ISO 9000 प्रमाणन के अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यायन तन्त्र के लिए कार्यविधि के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया ताकि

सार्वभौमिक रूप से एकरूप तथा विश्वसनीय तन्त्र की स्थापना की जा सके। इस मुद्दे पर अब आईएसओ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)

रोटरडम में 28 सितम्बर से 9 अक्टूबर 1992 के दौरान आयोजित आईईसी की महाबैठक में भारतीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया। इस शिष्टमण्डल में श्री ए.के. खोसला, अध्यक्ष, जी.ई.सी. ग्रुप ऑफ कम्पनीज़ तथा भा मा ब्यूरो के विद्युत तकनीकी विभाग के अध्यक्ष तथा श्री टी.सी. कपूर निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो थे। इसमें आईईसी काउंसिल, कमेटी ऑफ एक्शन, प्रेजीडेंट फोरम तथा सैक्रेटरीज़ फोरम शामिल थे, इसमें महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

संगोष्ठी

लैफिट. जन. ए.एस. भुल्लर, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो ने आईएसओ तथा विश्व बैंक द्वारा वार्शिंगटन में 4-5 नवम्बर 1992 के दौरान "रोल ऑफ स्टैन्डर्डाइजेशन इन इकोनोमिक डवलपमेंट" विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित आईएसओ/ विश्व बैंक की संगोष्ठी में भाग लिया।

इसमें उन्होंने डॉक्टर डंकसटन, यूरोपियन एक्सपर्ट ग्रुप के अध्यक्ष, जो सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत की सहायता कर रहे हैं, की ओर से "यूरोपियन कमेटी टैक्निकल असिसटेन्स: प्रमोटिंग दी एक्सपोर्ट ऑफ इण्डियन कम्प्यूटिज़ एण्ड मैनुफैक्चर्ड गुड्स टू यूरोप एण्ड वर्ल्ड मार्केट" विषय पर लेख पढ़ा। उन्होंने "रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडिंग इन अपग्रेडिंग ऑफ ए टिपिकल नैशनल स्टैन्डर्ड्स बोडी" विषय पर भी लेख पढ़ा।


गुटनिरपेक्ष देश - मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण (एसएमक्यूसी) सहयोग

मानकीकरण मापन तथा गुणता नियन्त्रण (एसएमक्यूसी) के क्षेत्र में समन्वयकारी गुटनिरपेक्ष देशों की 10वीं बैठक जैनेवा में मई 1992 के दौरान आयोजित की गयी। इस बैठक के दौरान गुट निरपेक्ष देशों के विशेषज्ञों के समूह की बैठक, जिसका भारत अध्यक्ष है, से उद्भूत अनुवर्ती कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया।

आईएसओ/आईईसी की तकनीकी समितियाँ/उपसमितियाँ

भारतीय शिष्टमण्डल ने आईएसओ तथा आईईसी की चुनी हुई समिति/

क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय



उद्योग को प्रभावी रूप से सेवा देने के उद्देश्य से ब्यूरो के पास पूरे देश में फैला हुआ क्षेत्रीय, शाखा तथा निरीक्षण कार्यालयों का व्यापक नेटवर्क है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चंडीगढ़

तथा दिल्ली स्थित ब्यूरो के 5 क्षेत्रीय कार्यालय अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से अपने अलग-अलग क्षेत्रों में ब्यूरो की गतिविधियों का समन्वय करते हैं। क्षेत्र विशेष की कुछ विशिष्ट

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ शाखा कार्यालयों के अधीन निरीक्षण कार्यालय भी कार्य करते हैं। क्षेत्रीय शाखा तथा निरीक्षण कार्यालयों का वर्तमान सेटअप इस प्रकार है :

क्षेत्रीय कार्यालय	शाखा कार्यालय	निरीक्षण कार्यालय
मध्य, नई दिल्ली	दिल्ली, भोपाल, जयपुर तथा गाजियाबाद	भिलाई
पूर्वी, कलकत्ता	कलकत्ता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा पटना	राउरकेला, जमशेदपुर, तथा दुर्गापुर
उत्तरी, चंडीगढ़	चंडीगढ़, कानपुर, फरीदाबाद, तथा लखनऊ	—
दक्षिणी, मद्रास	मद्रास, बंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनन्तपुरम तथा कोयम्बतूर	—
पश्चिमी, बम्बई	बम्बई तथा अहमदाबाद	नागपुर, राजकोट, बड़ोदरा, औरंगाबाद तथा पुणे

1 अक्टूबर, 1992 से क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने-अपने क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करने का अतिरिक्त दायित्व भी सँभाला है। शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रमाणन के अन्तर्गत अन्य उद्योगों को लाने, लाइसेंस के प्रचालन की मानीटरी करने, प्रकाशनों की बिक्री बढ़ाने, गुणता तंत्र प्रमाणन का प्रचार करने और क्षेत्रीय तथा शाखा प्रयोगशालाओं के प्रचालन के कार्य में तीव्र गति से

प्रगति करना जारी रखा।

क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों ने प्रचार माध्यमों द्वारा मानकीकरण का कार्य बढ़ाने के लिये संघनित प्रयास करना जारी रखा। उद्योग तथा सरकार के साथ संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों और मेलों में सक्रियता से भाग लेकर, गुणता तंत्र, मानकीकरण तथा सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके तथा पुनरीक्षा बैठकें

आयोजित करके घनिष्ठ सम्पर्क बनाया गया।

अपनी अन्य गतिविधियों के अलावा हमारे बंगलोर के शाखा कार्यालय ने इस क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों के सक्रिय सहयोग के लिये इलैक्ट्रिक तथा दूर-संचार से संबद्ध मानक-निर्धारण का अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाना जारी रखा।



राष्ट्रीय मानकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है, के साथ सक्रिय सहयोग किया। ब्यूरो ने एसईआई को सचिवालय-सुविधाएँ देना भी जारी रखा।

देश में मानकीकरण और गुणता चेतना बढ़ाने के लिये भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों ने पृथक-पृथक एसईआई अनुभागों के साथ सहयोग किया और कई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, व्याख्यान-बैठकों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन किया। उद्योग के लाभ के लिये एसईआई के कई अनुभागों द्वारा कंपनी मानकीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गुणता तंत्र जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

मानकीकरण तथा गुणता तंत्र पर राज्य स्तरीय समितियाँ (एसएलसी)

राज्यों में निर्मित उत्पादों की गुणता सुधारने और राज्यों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणता में भी सुधार लाने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये 19 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित मानकीकरण तथा गुणता तंत्र के लिए राज्य स्तरीय समितियाँ कार्य कर रही हैं। वर्ष के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा पंजाब में राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें हुईं।

प्रचार

वर्ष 1992-93 के दौरान भा मा ब्यूरो

की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों को आकाशवाणी (एआईआर), दूरदर्शन तथा प्रेस ने पर्याप्त कवरेज दिया।

देश भर में अधिक से अधिक लोगों को ब्यूरो के कार्य के बारे में सूचना देने के लिये और उन्हें शिक्षित करने के लिये हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों संबंधी रेडियो-स्पोर्ट, वार्ताएँ, साक्षात्कार तथा विचार-विमर्श प्रसारित किये गये। समय-समय पर दूरदर्शन द्वारा अपने विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मानक मुहर लगी वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भा मा ब्यूरो द्वारा हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा में निर्मित क्षणिकाएँ, वार्ताएँ तथा साक्षात्कार तथा सामूहिक विचार-विमर्श प्रसारित किये गये।

प्रेस साक्षात्कारों, प्रेस नोट और विज्ञापनों, विवरणिकाओं, लेखों तथा निबन्धों, वीडियो फिल्मों, रेलवे स्टेशनों पर सिनेमा स्लाइड तथा क्लोज सर्किट टी.वी. तथा होर्डिंग, कपड़े के बैनरों, नियोन संकेतों तथा प्रचार स्टीकरों की सहायता से प्रचार आन्दोलन चलाया गया। महत्वपूर्ण अवसरों पर समाचार में विशिष्ट परिशिष्ट प्रकाशित किये गये। विभिन्न विषयों पर प्रचार विवरणिकाएँ प्रकाशित की गयीं इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :


- बी आई एस (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
- बी आई एस इन दी सर्विस ऑफ दी

हैंडीकेण्ड

- हवाट टू लुक फॉर इन दी स्टैण्डर्ड्स मार्क?
- बायर्ता गाइड डाटाबेस ऑफ प्रोडक्ट्स विद स्टैण्डर्ड मार्क
- इंडो-ईईसी ट्रेड – स्टैण्डर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, इन्फोर्मेशन फोर एक्सपोर्ट्स
- इंडो-ईईसी इन्फोर्मेशन सर्विस ऑन स्टैण्डर्ड्स एंड क्वालिटी

ब्यूरो ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- कन्जूमर अवेयरनेस एगिजविशन, बम्बई
- बिल्ड-टैक एगिजविशन, नई दिल्ली
- इलैक्ट्रिक इंडिया 92, मद्रास
- फार्माटिक '92 एगिजविशन, बम्बई
- टैकमार्ट '92 प्रदर्शनी, नई दिल्ली
- इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, नई दिल्ली
- एआईएम '92 प्रदर्शनी, नई दिल्ली
- इलैकरामा '93, नई दिल्ली
- वर्ल्ड कॉंग्रेस ऑन टोटल क्वालिटी, नई दिल्ली
- कलकत्ता पुस्तक मेला, कलकत्ता
- पटना पुस्तक मेला, पटना
- क्रेता विक्रेता बैठक – शिवकाशी
- दसवां भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेला, नई दिल्ली
- इंडियन ज्योटेकिनकल कान्फ्रेंस एगिजविशन, कलकत्ता
- कन्जूमर प्रोटेक्शन एगिजविशन, नई दिल्ली
- कन्जूमर एगिजविशन, त्रिची



ब्यूरो ने सभी सम्बंधितों के लाभ के लिये भारतीय मानकों, भा मा ब्यूरो प्रमाणन योजना और मानक मुहर के बढ़ते हुए महत्व और उपयोगिता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास जारी रखे।

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित संगठनों ने भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पाद, जहाँ उपलब्ध हों, की खरीद करने का निर्णय लिया :

- सीमा सड़क संगठन,
- दामोदर घाटी निगम, भवानी भवन अलीपुर, कलकत्ता
- ग्रामीण विकास निदेशालय, तमिलनाडु, मद्रास
- वेस्टर्न कोल फील्ड लिमि., नागपुर
- मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड, कोरबा, (म.प्र.)।

भारतीय मानकों की वर्गीकृत सूची

"सार्क" देशों ने वर्ष 93 को "विकलांग वर्ष" के रूप में मनाया। इस अवसर पर भा मा ब्यूरो ने विकलांगों के उपयोग के लिये बने उपस्कर, साधित्रों और सहायक यंत्रों पर भारतीय मानकों की वर्गीकृत सूची प्रकाशित की।

भारतीय मानकों की शैक्षिक उपयोगिता

मानकीकरण के संदेश का प्रचार करने और तकनीकी संगठनों के निकाय सदस्यों और विद्यार्थियों को मानकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित अद्यतन भारतीय मानकों की उपयोगिता के बारे में जानकारी देने के लिये भा मा ब्यूरो, भारतीय मानकों की शैक्षिक उपयोगिता (ईयूएस) पर कार्यशालाएँ आयोजित करता रहा है। पिछले साल से भा मा ब्यूरो ने स्कूलों के लिये भी यह संदेश देना आरंभ कर दिया है। पिछले वर्ष निम्नलिखित स्थानों पर उपर्युक्त कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टैक्नोलॉजी, पंतनगर
- इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टैक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बम्बई
- लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली
- पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़
- रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर
- केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, त्रिवेन्द्रम
- नारायण पी.जी. कॉलेज, शिकोहाबाद

विश्व मानक दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की स्थापना को याद करने के उद्देश्य से विश्व मानक दिवस 1992, 14 अक्टूबर को मनाया गया। इस अवसर के महत्व को प्रदर्शित करने के लिये भा मा ब्यूरो ने "अन्तर्राष्ट्रीय मानक-खुले बाजार में प्रवेश का माध्यम" विषय पर नई दिल्ली में संगोष्ठी आयोजित की। विश्व मानक दिवस ब्यूरो के क्षेत्रीय शाखा और निरीक्षण कार्यालयों में भी मनाया गया।

कम्पनी मानकीकरण

ब्यूरो, कंपनी मानकीकरण के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के मध्य स्तरीय कार्मिकों को परामर्श प्रशिक्षण देता है। पिछले वर्ष निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

स्थान	लक्ष्य समूह
नई दिल्ली	नेपाल ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्ड्स के प्रशिक्षार्थी
नई दिल्ली	इंजीनियरी उद्योग
गुवाहाटी	इंजीनियरी उद्योग

मानक इंजीनियरी संस्थान


पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी भा मा ब्यूरो ने मानक इंजीनियरी संस्थान (एसईआई) — जोकि व्यावसायिक मानक इंजीनियरों का निकाय है व जिसका उद्देश्य मानकीकरण और




विश्व मानक दिवस समारोह



वेट '93 प्रदर्शनी बम्बई में भा मा ब्यूरो की सहभागिता



प्रयोगशाला परीक्षण



अखिल भारत स्तर पर गुणता तंत्र प्रमाणन के प्रचालन के लिए पूर्णतः तैयार होने के लिए व्यरो में काफी बड़ी संख्या में संपरीक्षकों की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 अग्रणी मूल्यांककों के पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इससे "इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (आईक्यूए),

संपरीक्षकों का प्रशिक्षण

गुणित होगी। प्रमाणन के अन्तर्गत कई और फर्म आशा की जाती है कि भविष्य में सरकारत्मक पूछ-ताछ की गई और यह है। वर्ष के दौरान इस संस्करण में कई IS 14 001/ISO 9 001 के लिये लिए IS 14 002/ISO 9 002 तथा इलेक्ट्रिक कंपनी, मद्रास की क्रमशः नई दिल्ली तथा मैसूर इतिया कॉन्टीनेंटल डिवाइस इतिया लिमिटेड, प्रदान किए गए। ये लाइसेंस मैसूर इस वर्ष दो गुणता तंत्र प्रमाणन लाइसेंस

लाइसेंस

अनुरूप है। प्रत्येक भी अन्तर्राष्ट्रीय अधिकाओं के प्रमाणन निकाल दो गया है और इसके अन्तर्गत कार्य करने वाला पहला मानक व्यरो अधिनियम 1986 के के द्वारा पारित अधिनियम, - भारतीय ही भारतीय मानक व्यरो, देश में संघर्ष हुए। इन प्रलेखों के तैयार होने के साथ सर्टिफिकेशन" के अनुसार तैयार किए गए। इन प्रलेखों को सर्टिफिकेशन काइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन बांडीज बांडीज" तथा इंग्लैंड 45 012 "जनरल फॉर एक्सपर्टिस ऑफ सर्टिफिकेशन गाइड, 40 "जनरल रिक्वायरमेंट्स गाइड" में प्रलेख आईएसओ/आईईसी को प्रलेखनबद्ध करने का कार्य किया मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा मानक प्रपत्रों सहायता से गुणता मूलअल, पद्धतियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की योजना के प्रभावी प्रचालन के लिए योजना में उल्लेखनीय प्राप्ति हुई। वर्ष के दौरान गुणता तंत्र प्रमाणन

गुणता तंत्र प्रमाणन


यूके" के द्वारा अनुरोधित अर्हक मूल्यांककों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होने के कारण भारतीय मानक व्यरो, अब, उद्योगों को अधिक रक्ष और प्रभावी सेवा देने में सक्षम है।

योजना की पारस्परिक मान्यता

इस वर्ष भारतीय मानक व्यरो ने "ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट क्वालिटी एश्योरेंस (बीएसआईक्यूए), यूनाइटेड किंगडम" जो व्यरो के समतुल्य संस्था है, के साथ करारनामा किया। इस करारनामे के साथ ही दोनों संगठन एक-दूसरे के प्रमाणन की मान्यता देने के लिए कार्य करने की दिशा में सहमत हो गए हैं। इससे भारतीय फर्मों को, विदेशी मूद्रा बचाने में उल्लेखनीय फायदा होगा। क्योंकि भारतीय मानक व्यरो बीएसआईक्यूए, यूके गुणता तंत्र

आकृति 3 भा. मा. व्यरो प्रमाणन मुहर लाइसेंसों को उद्योगवार व्यापक वितरण

क -	विद्युत तकनीकी	ड -	धातुकर्म इंजीनियरी
ख -	निचले इंजीनियरी	घ -	रसायन तथा पेट्रो रसायन
ग -	खाल एवं कृषि	छ -	बस्त्रोद्योग
घ -	यांत्रिक इंजीनियरी	ज -	परिवहन इंजीनियरी



प्रमाणन के लिए उनका मूल्यांकन करेगा और इसके लिए भूगोलन भी फर्मों को भारतीय रूपों में ही करना होगा।


पूर्व प्रमाणन सेवाएँ

उद्योग को गुणता तंत्र के कार्यान्वयन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय मानक व्यरो ने 250 परिषद कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें उद्योग, परामर्शदाता संगठन तथा औद्योगिक संस्थाओं के 6 308 कॉमिक प्रशिक्षित किए गए। इस वर्ष 5 ऐसे संगठनों को सर्वेक्षण किया गया जो अपने पढ़ाई गुणता तंत्र के कार्यान्वयन की कार्यवाही कर रहे हैं और एनटरप्राइस को आन्तरिक संपरीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं।

5 संगठनों का प्रयोगात्मक आधार पर मूल्यांकन भी किया गया। इन प्रयोगात्मक मूल्यांकनों के माध्यम से ये



प्रमाणन और गुणता आश्वासन



भारतीय मानक ब्यूरो ने भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना, गुणता तंत्र प्रमाणन तथा इलैक्ट्रानिकी घटकों के लिए आईईसीक्यू प्रमाणन तंत्र के माध्यम से अपनी उत्पाद प्रमाणन तथा गुणता आश्वासन की गतिविधियों में आगे प्रगति करना जारी रखा।

उत्पाद प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना में 1992-93 के दौरान प्रगति जारी रही। प्रमाणन शुल्क से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की तुलना में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस आय ने बढ़कर 21.88 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

इस वर्ष जारी किए गए नये लाइसेंसों की संख्या 1 238 है। 28 उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत पहली बार शामिल किए गए। इनमें से कुछ उत्पाद इस प्रकार हैं :


- मलाई रहित दुग्ध पाउडर, मानक ग्रेड
- मोल्डकृत रबड़ के गद्दे व तकिए आदि
- मच्छरदानी
- गहराई से पानी निकालने के हैंडपंप
- अन्तर्दहन इंजनों के लिए एल्युमिनियम मिश्र धातु के पिस्टन
- अम्लरोधी ईंटें
- सामान्य प्रयोजन के लिये मध्यम घनत्व वाले रेशो के बोर्ड

- घुमाव वाली मोल्डकृत पोलीइथाइलीन की जल भंडारण की टंकियाँ
- स्वतः संकेतक और अर्धस्वतः संकेतक, गणना टाइप की वजन लेने वाली मशीन
- सुवाह्य अग्निशामक यंत्र, यांत्रिक झाग टाइप
- आग लगने की चेतावनी देने वाले बिजली के स्वचालित धुआं अनुदेशक यंत्र
- अग्निशमन अनुप्रयोगों के लिए पम्प
- कंप्यूटर में उपयोग के लिए कागज
- मोटरगाड़ियों के लिए बिजली के

हार्न

प्रमाणन के अन्तर्गत भारतीय मानक

योजना के आरम्भ से लेकर अब तक उन भारतीय मानकों की कुल संख्या 1 421 हो गई, जिनके प्रति उत्पाद प्रमाणित किए जाते हैं। इनमें से 295 मानक सामान्य उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं से सम्बन्धित हैं - जैसे एलपीजी सिलिंडर, एलपीजी चूल्हे, तेल दाब चूल्हे, प्रेशर कुकर, निरापद माचिस, निरापद रेज़र ब्लेड, जीएलएस लैम्प, प्रतिदीप्त ट्यूबें,



आकृति 2 - चालू लाइसेंस

गुणता तंत्र प्रमाणन

वर्ष के दौरान गुणता तंत्र प्रमाणन योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई। योजना के प्रभावी प्रचालन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सहायता से गुणता मैनुअल, पद्धतियों, मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा मानक प्रपत्रों को प्रलेखनबद्ध करने का कार्य किया गया। ये प्रलेख आईएसओ/आईईसी गाइड, 40 "जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज" तथा ईएन 45 012 "जनरल क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज आपरेटिंग क्वालिटी सिस्टम सर्टिफिकेशन" के अनुसार तैयार किए गए। इन प्रलेखों के तैयार होने के साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो, देश में संसद के द्वारा पारित अधिनियम, - भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्य करने वाला पहला प्रमाणन निकाय हो गया है और इसके प्रलेख भी अन्तर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

लाइसेंस

इस वर्ष दो गुणता तंत्र प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। ये लाइसेंस मैसर्स कॉन्टीनेन्टल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली तथा मैसर्स इंग्लिश इलैक्ट्रिक कंपनी, मद्रास को क्रमशः IS 14 002/ISO 9 002 तथा IS 14 001/ISO 9 001 के लिये दिए हैं। वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में कई सकारात्मक पूछ-ताछ की गईं और यह आशा की जाती है कि भविष्य में प्रमाणन के अन्तर्गत कई और फर्म शामिल होंगी।

संपरीक्षकों का प्रशिक्षण

अखिल भारत स्तर पर गुणता तंत्र प्रमाणन के प्रचालन के लिए पूर्णतः तैयार होने के लिए ब्यूरो में काफी बड़ी संख्या में संपरीक्षकों की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 अग्रणी मूल्यांककों के पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इससे "इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (आईक्यूए),

यूके" के द्वारा अनुमोदित अर्हक मूल्यांककों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मानक संसाधन उपलब्ध होने के कारण भारतीय मानक ब्यूरो, अब, उद्योगों को अधिक दक्ष और प्रभावी सेवा देने में सक्षम है।

योजना की पारस्परिक मान्यता


इस वर्ष भारतीय मानक ब्यूरो ने "ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट क्वालिटी एश्योरेंस (बीएसआईक्यूए), यूनाइटेड किंगडम" जो ब्यूरो के समतुल्य संस्था है, के साथ करारनामा किया। इस करारनामे के साथ ही दोनों संगठन एक-दूसरे के प्रमाणन को मान्यता देने के लिए कार्य करने की दिशा में सहमत हो गए हैं। इससे भारतीय फर्मों को, विदेशी मुद्रा बचाने में उल्लेखनीय फायदा होगा। क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआईक्यूए, यूके गुणता तंत्र

प्रमाणन के लिए उनका मूल्यांकन करेगा और इसके लिए भुगतान भी फर्मों को भारतीय रुपयों में ही करना होगा।

पूर्व प्रमाणन सेवाएँ

उद्योग को गुणता तंत्र के कार्यान्वयन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने 250 परिचय कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें उद्योग, परामर्शदाता संगठन तथा औद्योगिक संस्थाओं के 6 308 कार्मिक प्रशिक्षित किए गए। इस वर्ष 5 ऐसे संगठनों का सर्वेक्षण किया गया जो अपने यहाँ गुणता तंत्र के कार्यान्वयन की कार्यवाही कर रहे हैं और एतदर्थ स्वयं को आन्तरिक संपरीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं।

5 संगठनों का प्रयोगात्मक आधार पर मूल्यांकन भी किया गया। इन प्रयोगात्मक मूल्यांकनों के माध्यम से ये



आकृति 3 भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंसों को उद्योगवार व्यापक वितरण



तालिका 3 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1993 के दौरान किये गए निरीक्षणों की तालिका

क्रम सं.	क्षेत्र	शाखा	निरीक्षण		
			प्रारम्भिक	आवधिक	अन्य
1.	मध्य	क) दिल्ली	333	2 773	680
		ख) भोपाल	169	1 745	473
		ग) गाजियाबाद	116	1 001	741
		घ) जयपुर	155	1 307	513
योग			773	6 826	2 407
2.	पूर्वी	क) कलकत्ता (गुवाहाटी सहित)	193	3 416	149
		ख) भुवनेश्वर	53	331	523
		ग) पटना	69	1 061	97
योग			315	4 808	774
3.	उत्तरी	क) चंडीगढ़	197	2 790	1 334
		ख) फरीदाबाद	78	980	3 043
		ग) कानपुर	65	505	213
		घ) लखनऊ	94	810	18
योग			434	5 085	4 608
4.	दक्षिणी	क) मद्रास	85	1 254	558
		ख) बंगलोर	84	1 660	228
		ग) कोयम्बतूर	79	1 307	63
		घ) हैदराबाद	91	1 269	294
		ड) तिरुअनन्तपुरम	11	695	76
योग			350	6 185	1 219
5.	पश्चिमी	क) बम्बई	255	4 461	2 315
		ख) अहमदाबाद	226	2 297	1 676
महायोग			2 323	29 662	12 999

समीक्षा बैठकें विशिष्ट क्षेत्रों में आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं। इससे प्राप्त फीडबैक आंकड़े, मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं के पुनरीक्षण में काम आते हैं।

इस वर्ष लाइसेंसधारियों के साथ 20 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

निम्नलिखित उत्पादों के लाइसेंसधारियों के साथ बैठकें :

- खाद्य रंग तथा खाद्य संयोजी
- जूट तथा जूट के उत्पाद
- पूर्व ढलित आरसीसी पाइप
- अग्नि शामक उपस्कर
- कीटनाशी
- गन मेटल वाल्व
- एमसीआई पाइप फिटिंगें
- बिस्कुट
- गैस बर्निंग साधित्र
- स्विच गीयर तथा फ्यूज

- वायरिंग सहायकांग
- एलपीजी सिलिंडर
- जीएलएस लेम्पों की गुणता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
- यूनिसेफ के सहयोग से हैंडपंप और अतिरिक्त पुर्जों के गुणता नियंत्रण और निरीक्षण पर कार्यशाला
- रोगाणुनाशी द्रवों के लाइसेंसधारियों, आवेदकों और निर्माताओं के साथ आपसी बैठक



शुष्क सेल बैटरियाँ, सूती बनियानें, खिजाब पाउडर, डेजर्ट कूलर, वनस्पति, बिस्कुट, दूध के उत्पाद, शिशु आहार तथा मच्छरदानियाँ। यह

अनुमान है कि इन प्रमाणित उत्पादों की कीमत 8 000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। चालू लाइसेंसों की संख्या 31 मार्च

1993 को 11 726 (आकृति-2 देखें) थीं। इन लाइसेंसों का क्षेत्रवार और उद्योगवार वितरण तालिका 2 और आकृति 3 में दिमा गया है :

तालिका 2 प्रमाणन मुहर लाइसेंसों का क्षेत्रवार वितरण (31 मार्च, 1993)

क्र. सं.	क्षेत्र	शाखा कार्यालय	चालू लाइसेंस (आस्थगित सहित)
1.	मध्य	क) दिल्ली	1 181
		ख) भोपाल	618
		ग) गाजियाबाद	421
		घ) जयपुर	482
योग			2 702
2.	पूर्वी	क) कलकत्ता (गुवाहाटी सहित)	1 378
		ख) भुवनेश्वर	170
		ग) पटना	411
योग			1 959
3.	उत्तरी	क) चंडीगढ़	1,288
		ख) फरीदाबाद	318
		ग) कानपुर	263
		घ) लखनऊ	260
योग			2 129
4.	दक्षिणी	क) मद्रास	628
		ख) बंगलोर	444
		ग) कोयम्बतूर	431
		घ) हैदराबाद	561
		ड) तिरुअनन्तपुरम	184
योग			2 248
5.	पश्चिमी	क) बम्बई	1 669
		ख) अहमदाबाद	1 019
योग			11 726

भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस के चालू लाइसेंसों/आवेदकों का मूल्यांकन

नये लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रारंभिक तथा वर्तमान लाइसेंसों के पर्यवेक्षण के लिये किये गए आवधिक व अन्य निरीक्षणों की संख्या तालिका 3 में दी गई है।

गतावधि/रद्द लाइसेंस

वर्ष के दौरान 1 488 लाइसेंस गतावधि/रद्द हो गये। इनमें वे लाइसेंस


भी शामिल हैं जो पिछले वर्ष रद्द/गतावधि हो गये थे, किन्तु आंकड़ों के समाधान के लिए जिन्हें इस वर्ष समायोजित किया जा रहा है। लाइसेंसों के गतावधि/रद्द होने का कारण लाइसेंसधारियों की असंतोषजनक कार्यकारिता, लाइसेंसधारी की फैक्टरी का बन्द होना, लाइसेंस में शामिल उत्पाद का निर्माण करने में लाइसेंसधारियों की रुचि का न होना,

इत्यादि है।

प्रचालन की समीक्षा

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन, मानकों के कार्यान्वयन में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों, किसी उत्पाद के लिए गुणता मानदण्डों के बारे में उपभोक्ताओं की अधिमानता इत्यादि के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए भा मा ब्यूरो लाइसेंसधारियों और सम्बद्ध उपभोक्ता-हितधारकों की

प्रमाणन और गुणता आश्वासन



भारतीय मानक ब्यूरो ने भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना, गुणता तंत्र प्रमाणन तथा इलेक्ट्रॉनिकी घटकों के लिए आईईसीक्यू प्रमाणन तंत्र के माध्यम से अपनी उत्पाद प्रमाणन तथा गुणता आश्वासन की गतिविधियों में आगे प्रगति करना जारी रखा।

उत्पाद प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना में 1992-93 के दौरान प्रगति जारी रही। प्रमाणन शुल्क से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की तुलना में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस आय ने बढ़कर 21.88 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

इस वर्ष जारी किए गए नये लाइसेंसों की संख्या 1 238 है। 28 उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत पहली बार शामिल किए गए। इनमें से कुछ उत्पाद इस प्रकार हैं :


- मलाई रहित दुग्ध पाउडर, मानक ग्रेड
- मोल्डकृत रबड़ के गद्दे व तकिए आदि
- मच्छरदानी
- गहराई से पानी निकालने के हैंडपंप
- अन्तर्दहन इंजनों के लिए एल्युमिनियम मिश्र धातु के पिस्टन
- अम्लरोधी ईटें
- सामान्य प्रयोजन के लिये मध्यम घनत्व वाले रेशे के बोर्ड

- घुमाव वाली मोल्डकृत पॉलीइथाइलीन की जल भंडारण की टंकियाँ
- स्वतः संकेतक और अर्धस्वतः संकेतक, गणना टाइप की वजन लेने वाली मशीन
- सुवाहय अग्निशामक यंत्र, यांत्रिक झाग टाइप
- आग लगने की चेतावनी देने वाले बिजली के स्वचालित धुआं अनुदेशक यंत्र
- अग्निशमन अनुप्रयोगों के लिए पम्प
- कंप्यूटर में उपयोग के लिए कागज
- मोटरगाड़ियों के लिए बिजली के

हार्न

प्रमाणन के अन्तर्गत भारतीय मानक


योजना के आरम्भ से लेकर अब तक उन भारतीय मानकों की कुल संख्या 1 421 हो गई, जिनके प्रति उत्पाद प्रमाणित किए जाते हैं। इनमें से 295 मानक सामान्य उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं से सम्बन्धित हैं — जैसे एलपीजी सिलिंडर, एलपीजी चूल्हे, तेल दाब चूल्हे, प्रेशर कुकर, निरापद माचिस, निरापद रेज़र ब्लेड, जीएलएस लैम्प, प्रतिदीप्ति ट्यूबें,



आकृति 2 — चालू लाइसेंस



गुणता तंत्र के लाइसेंस प्रदान करने का समारोह



मानकों पर विचार-विमर्श



विभाग परिषद् की बैठकों के दृश्य



धातुकर्म इंजीनियरी

- वेल्डिंग योग्य संरचनात्मक इस्पात
- सिंचाई उपयोगों के लिये एल्यूमिनियम मिश्रधातु की नलियाँ
- सतत ढले ब्लूम, बिलेट तथा स्लेवों में उत्पादित गढ़ाइयों का भंडार
- जंग परिवर्तक

वस्त्रादि

- यूनिकॉम के लिए पोलिएस्टर सूत मिश्रित खादी (पालीएस्टर) का कपड़ा
- कच्चे रेशम का श्रेणीकरण
- जूट के बोरे
- डाइस्टफ इन सबस्टेंस के अनुप्रयोग वर्गों की पहचान

परिवहन इंजीनियरी

- स्वचालित वाहनों के लिए बिजली के हार्न
- स्वचालित वाहनों के लिए हेडलाइट
- जहाजों में कम्पन के समग्र मूल्यांकन के मार्गदर्शी सिद्धान्त
- तिपहिया वाहनों के ब्रेक की कार्यकारिता अपेक्षाएँ

मानकों की पुनरीक्षा और उन्हें अद्यतन बनाना

मानकों का पुनरीक्षण आवश्यक समझे जाने पर, किन्तु 5 वर्ष में एक बार अवश्य किया जाता है। इस वर्ष वर्तमान मानकों में 317 संशोधन प्रकाशित किये गये।

ऐसे क्षेत्र जहाँ ध्यान दिया जाना अपेक्षित है

इस वर्ष बाजार का विश्वव्यापीकरण

होने के कारण और विशेष रूप से यूरोपीय बाजार के आपस में मिल कर एक होने से उत्पन्न चुनौती को देखते हुए, ऐसे क्षेत्र अभिज्ञात करने पर अधिक बल दिया गया, जिन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। विभिन्न तकनीकी विभागों के भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के प्रयास किए गए और प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से आवश्यक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के प्रयास भी किए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय/यूरोपीयन आर्थिक समुदाय के मानकों के साथ भारतीय मानकों का सामंजस्य

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के बढ़ते महत्व और एकीकृत यूरोपीयन बाजार के उद्भव के फलस्वरूप, भारतीय मानकों को उनके संगत आईएसओ/आईईसी और इंएन मानकों, यूरोपीयन आर्थिक समुदाय के (ईईसी) निर्देशों और विनियमों के साथ समंजित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसीलिए, इस क्षेत्र में सभी तकनीकी विभागों द्वारा सोत्साह कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3000 भारतीय मानकों को अन्तर्राष्ट्रीय और यूरोपीय तथा आईएसओ/आईईसी मानकों के साथ समंजित किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो के सामंजस्य के प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन देने तथा व्यापार, उद्योग तथा निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यूरो और ईईसी

मानकों की भूमिका समझाने और यूरोपीय बाजार की तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने में उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें सहायता देने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अत्यन्त उपयोगी और सामयिक प्रकाशन निकाला है जिसका शीर्षक है "इंडो-ईईसी ट्रेड स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन इन्फोर्मेशन फॉर एक्सपोर्ट्स"। इस प्रकाशन में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं, जैसे इंडो-ईईसी व्यापार का परिचय, मानक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, ईईसी के साथ मानकों और तकनीकी विनियमों का सामंजस्य, अनुरूपता मूल्यांकन और गुणता आश्वासन तथा भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका। इसमें भारतीय, अन्तर्राष्ट्रीय और यूरोपीय मानकों के सर्वांगपूर्ण संकलन के साथ-साथ भारत के निर्यातकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानकों के सामंजस्य के बारे में सूचना भी दी गई है।

जलपूर्ति पर प्रौद्योगिकी मिशन

ब्यूरो ने "पेय जलपूर्ति मिशन पर गुणता आश्वासन (क्वासम) परियोजना" के अन्तर्गत ग्रामों में जलपूर्ति पर प्रौद्योगिकी-मिशन को मानकीकरण और गुणता आश्वासन के क्षेत्र में सक्रिय सहायता देना जारी रखा। "गाइड लाइन फॉर लोकेशन, आपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्यूब/बोर वेल्स" पर मैनुअल, "पाइप्स एंड फिटिंग्स फॉर ड्रिफिंग वाटर सप्लाई" पर हैंडबुक और "पंप" पर हैंडबुक तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है।



- प्रकाशक रेशा केबलों की विशिष्ट
- रंगीन टीवी के लिए फेराइट के घटकों के आयाम

विद्युत तकनीकी

- विस्फोटक गैसीय वायुमंडल हेतु बिजली के उपकरणों की सामान्य अपेक्षाएँ
- बिजली के घरेलू और समकक्ष साधनों की सुरक्षा
- हवाई जहाज के लिए सीसा अम्ल की बैटरियाँ
- बिजली के लोकोमोटिव (रेलगाडी के इंजन) के लिए क्रेडमियम की बैटरियाँ
- एल्यूमिनियम के चालक, जस्तीकृत इस्पात प्रबलित, अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाले
- रेल के सवारी - डिब्बों के पंखे

खाद्य एवं कृषि

- पास्चुरीकृत दूध, मक्खन तथा घी
- खनिज युक्त जल
- भारतीय रमेदार सब्जी का मसाला और चना मसाला

- चॉकलेट

प्रबन्ध तंत्र

- बहिरंग रोगी विभाग तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए गुणता प्रबन्ध पद्धतियों के मार्गदर्शी सिद्धान्त
- नैदानिक तथा रक्ताधान सेवाओं के लिए गुणता प्रबन्ध के मार्गदर्शी सिद्धान्त
- मापन उपस्करों हेतु गुणता आशवासन अपेक्षाएँ
- नमूने लेने की निरीक्षण पद्धतियाँ

यांत्रिक इंजीनियरी

- एलपीजी के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे
- उपयोग में आये अल्प दाब, वेल्डकृत इस्पात के गैस सिलिण्डरों के दृष्टि निरीक्षण की रीतिसंहिता
- एलपीजी से जलने वाले साधनों में उपयोग के लिये गैस रिसाव अन्वेषी यंत्र


- धूलनशील एसीटीलीन गैस सिलिण्डर के लिये फ्यूजीबल प्लग
- भूमिगत खानों तथा ऐसे ही अन्य खतरनाक अनुप्रयोगों के लिए अग्निरोधी वाहक पट्टे
- बच्चों के लिए सुरक्षित पैकेजबंदी - पुनः बंद किए जा सकने वाले पैकेजों की अपेक्षाएँ और परीक्षण
- कलाई घड़ियाँ और घड़ी संचालन
- परिवर्त्य इंसर्ट सहित हाफ साइड तथा फेस कटर
- तरल पावर फिफ्टिंग

चिकित्सा उपस्कर तथा अस्पताल आयोजना

- शल्य चिकित्सा के अकर्तक गोरदार उपकरण
- टाँके लगाने की सुइयाँ
- दंत्य सामग्रियाँ
- दंत्य एक्स-किरण उपस्करों की विकिरण से सुरक्षा
- शिशु ऊष्मायित्रों की निरापदता

तालिका 1 1992-93 के दौरान मानक निर्धारण गतिविधि

क्षेत्र	विषय समितियाँ	आयोजित बैठकें	पुनरीक्षित मानक	जारी किए संशोधन	व्यापक परिचालन में जारी किए गए मसौदे	वर्क प्रोग्राम में शामिल किए गए नये विषय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रसायन तथा पेट्रोरसायन	53	40	122	46	155	33
सिविल इंजीनियरी	67	41	106	49	162	5
इलैक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार	34	22	80	1	47	शून्य
इलैक्ट्रो तकनीकी	40	14	71	26	45	34
खाद्य एवं कृषि	47	23	71	18	51	44
प्रबंध तथा तंत्र	7	5	10	4	10	26
यांत्रिक इंजीनियरी	71	42	156	40	155	57
चिकित्सा उपस्कर एवं अस्पताल आयोजना	18	7	39	61	25	13
धातुकर्म इंजीनियरी	34	19	70	20	76	13
वस्त्रादि	29	15	52	34	33	5
परिवहन इंजीनियरी	23	13	42	18	43	20
योग	423	241	819	317	762	250



इस वर्ष भारतीय मानक ब्यूरो ने 819 मानक निर्धारित किये। इससे 31 मार्च, 1993 को लागू कुल मानकों की संख्या 16 124 हो गई। पिछले पाँच वर्षों के दौरान लागू मानकों की संख्या देखते हुए एक चार्ट, आकृति 1 में दिया गया है। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत हुई मुख्य-मुख्य गतिविधियाँ तालिका 1 में दिखाई गई हैं :

महत्वपूर्ण मानक

कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिन पर नये मानक निर्धारित किये गये, इस प्रकार हैं :

रसायन तथा पेट्रोरसायन

- सड़क परिवहन के लिए निरापद शीशे
- कपड़ों की धुलाई के लिए अपमार्जक पाउडर
- अम्ल ग्रेड फ्लोरस्पार
- क्लोरीन की गोलियाँ
- रिससिटेटर्स
- एलपीजी साधित्रों और संस्थापनों में प्रयुक्त अवायुजीवी जोड़-मसाला
- शैम्पू, सॉशिलष्ट, डिटर्जेंट-आधारित
- बहु-उपयोगी गीयर स्नेहक
- कोक की परीक्षण पद्धति - विशेष

परीक्षण


- आईसी इंजन - क्रैंककेस तेल
- ड्रमों में प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स की पैकेजबंदी की संहिता

सिविल इंजीनियरिंग

- शहरी क्षेत्रों में कम आय के घरों के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका
- भवनों के निर्माण के लिए भूकंपरोधी डिजाइन की रीति संहिता
- भवनों में अतिरिक्त निर्माण या वर्तमान भवन में बदलाव कराने के दौरान सुरक्षा की रीति संहिता
- कार्यस्थल में खतरों के प्रति निवारक उपायों की सिफारिशें
- रेतीली मिट्टी में नींव के लिए भू-सुधार तकनीकों का चयन
- पूर्वढलित लौह-सीमेंट की पानी की टंकियों की विशिष्टि
- उत्प्लव मार्ग फियर फ्लेट-वी वीयर्स और क्रेस्ट के संरचनात्मक डिजाइन
- सिचाई की सघनता-निर्धारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त
- लंगरगाह के लिए डिजाइन सहायक तंत्र

इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार

- पब्लिक एड्रेस तंत्र के बाहरी संस्थापन की रीति संहिता
- टीवी के फेराइट के घटकों की कार्यकारिता अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियाँ





तथा अनुसूचित जन जाति के थे। वर्ष के दौरान 1 780 कार्मिकों के लिए 55 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए थे और इनमें 4 413 श्रमदिवस लगे। उपर्युक्त इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा भी बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित 79 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 186 अधिकारी भेजे गये, इसमें 993 श्रमदिवस लगे। गत वर्ष नियोक्ता तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध अधिकांशतः सौहार्दपूर्ण रहे। प्रबन्ध वर्ग ने कर्मचारियों के साथ विभिन्न मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से परस्पर परामर्श तथा विचार विमर्श द्वारा सुलझाया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पहले से ही अपनाये गये कल्याणकारी उपाय जारी रहे।

नियंत्रण आदेशों का प्रवर्तन

12 अक्टूबर, 1992 को प्रवर्तन से सम्बद्ध क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य ऐसे पृथक्-पृथक् अध्यादेश, गुणता नियंत्रण आदेश, इत्यादि - जिनके अन्तर्गत स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ उत्पादों के लिए मानक मुहर अनिवार्य बनाई गई है, के प्रचार और नियमन के लिए उत्तरदायी विभिन्न केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ सम्मिलित और संयुक्त प्रयास करना था। इस बैठक के आयोजन से इन आदेशों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ निर्धारण करने में सहायता मिली।

उपभोक्ता कल्याण

भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं

और उपभोक्ता संगठनों के साथ पारस्परिक सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ किया ताकि उपभोक्ता कल्याण का उन्नयन करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका के बारे में उनके बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके। प्रमाणित उत्पादों के संदर्भ में उपभोक्ताओं की शिकायतों के तेजी से निपटान के कार्य को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई।

वित्त

भारतीय मानक ब्यूरो ने लगातार चौथे वर्ष राजस्व बजट के लिए भारत सरकार से बिना कोई सरकारी सहायता लिए तेजी से अपनी गतिविधियों में प्रगति करना जारी रखा। इस वर्ष कुल आय रु.24.22 करोड़ रही जबकि 1991-92 के दौरान यह रु.19.92 करोड़ ही थी। इस प्रकार आय में 21.6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

भावी प्रत्याशाएँ

ब्यूरो को अस्तित्व में आये 45 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक ब्यूरो ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्धारित किया है और उन्हें राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों की दिशा में उन्मुख किया है। आर्थिक परिदृश्य बदलने और व्यापार के उदारीकरण के साथ भारतीय मानक ब्यूरो के समक्ष नई चुनौतियाँ आयीं। इन चुनौतियों का सामना करने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणता की वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्रदान करने के अपने प्रयासों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय निर्माताओं द्वारा गुणता तंत्र अपनाने को लोकप्रिय बनाने का लक्ष्य अपने समक्ष निर्धारित किया। दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने यह निर्णय

लिया है कि वह अगले वर्ष अपने सभी प्रचालनों में IS14 002/ISO 9 002 के अनुसार गुणता प्रबन्ध तंत्र स्थापित करेगा।

पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए अपनाए गये उपाय के रूप में भा मा ब्यूरो ने पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर भारतीय मानक मुहर के साथ साथ इको मुहर लगाने की योजना आरम्भ की है। यह आशा है कि यह योजना लोकप्रिय होगी और आने वाले वर्षों में कई उत्पाद इस योजना के अन्तर्गत लाए जायेंगे।

परीक्षण में लगने वाली अवधि को घटाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। इससे लाइसेंसधारियों के प्रचालन की बेहतर मॉनीटरि और लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों के प्रक्रमण में लगने वाले समय को कम करने में सहायता मिलेगी।

उपभोक्ताओं को प्रमाणित उत्पाद अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप 93-94 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत 20 नये उत्पाद शामिल किए जाएँ। प्रमाणन योजना को लोकप्रिय बनाने और मानक मुहर लगे उत्पादों के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

31/13/92

(लेफ्ट. जन. ए.एस. भुल्लर)



सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, उनकी गुणता का पारस्परिकता के सिद्धान्त के अनुसार मूल्यांकन करने की दृष्टि से इस तंत्र को बनाया गया। इस तंत्र के तहत, प्रमाणन प्राप्त देश के अनुमोदित निर्माता द्वारा भेजे गए घटक, निरीक्षण-परीक्षण की दोबारा आवश्यकता के बिना ही अन्य सहभागी देशों द्वारा समान रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस तंत्र को इलेक्ट्रॉनिकी घटकों के भारतीय निर्माताओं ने अत्यधिक उत्साह से स्वीकार किया है और उपयोगकर्ताओं की भी इसके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया रही है। अभी तक अपने देश में इस तंत्र के लिए 15 निर्माताओं, 4 परीक्षण प्रयोगशालाओं और एक वितरक को अनुमोदन दिया गया है।

प्रयोगशाला सेवा

देश भर में फैली भारतीय मानक ब्यूरो की 8 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पाद की सम्बद्ध भारतीय मानक के प्रति अनुरूपता परीक्षण की गतिविधि समान गति से जारी रखी गयी है। वर्ष 1992-93 के दौरान, उत्पादों की व्यापक रेंज को शामिल करते हुए 34 455 परीक्षण रिपोर्टें जारी की गईं। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं ने वर्तमान मानकों और निर्धारित किए जा रहे नये मानकों में अतिरिक्त अपेक्षाओं की सीमाएँ निर्धारित करने के लिए परीक्षण पद्धतियों और अन्वेषण से सम्बद्ध अनुसंधान तथा गवेषणात्मक अध्ययन करने के माध्यम से मानकीकरण की गतिविधि में भी भाग लिया। परीक्षण के बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने अतिरिक्त परीक्षण उपस्करों और सहायकांगों की खरीद के लिए रुपये 355 करोड़ खर्च किए। भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण/

उन्नयन के इंडो-ईईसी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 विशिष्ट क्षेत्र, अर्थात् 'खाद्य संसाधन', 'विजली के साधन' तथा 'मोटर-गाड़ी' क्षेत्र अभिज्ञात किए गए। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के कार्यक्रम के अन्तर्गत यांत्रिक तथा खाद्य/रासायनिक प्रयोगशालाएँ प्रत्यायित की गईं। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला तथा अंशशोधन प्रयोगशाला (यांत्रिक/विद्युत) के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

संवर्धनात्मक गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो ने सभी सम्बन्धितों के लाभ के लिए भारतीय मानकों, उत्पाद प्रमाणन के लिए मानक मुहर तथा गुणता तंत्र प्रमाणन के बढ़ते हुए महत्व और उपयोगिता के बारे में और अधिक जागरूकता बढ़ाना जारी रखा। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गई कई प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, शैक्षणिक उपयोगिता कार्यक्रमों, कम्पनी मानकीकरण कार्यक्रमों में भाग लिया। इन अवसरों पर प्रचार विवरणिकाओं, पैम्फलेटों तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन किया गया और सामान्य व्यक्तियों तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए प्रचार माध्यमों, प्रेस तथा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ता संस्थाओं के साथ-साथ व्यापार तथा उद्योग संस्थाओं के साथ परस्पर सम्बन्ध भी बनाये रखे ताकि वे इसकी विभिन्न गतिविधियों में पूरी तरह से भाग ले सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भारतीय मानक ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) तथा

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की विभिन्न तकनीकी और नीति निर्धारक समितियों में भाग लिया। क्षेत्रीय संगठनों - जिनमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है, के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रयास किया।

प्रदूषण निवारण

भारतीय मानक ब्यूरो पर्यावरण के संरक्षण के लिए मानक बनाने के कार्य में सक्रियता से जुटा हुआ है और ब्यूरो ने अब तक विभिन्न प्रक्रम - उद्योगों के लिए परीक्षण पद्धति, वायु तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए रीति संहिताओं तथा ठोस अवशिष्टों के उपयोग और निपटान के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों सहित 250 मानक निर्धारित किए हैं। वर्ष के दौरान आरम्भ की गई इको मुहर योजना, जिसका नियमन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत होना है, में शामिल पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित करने में भारतीय मानक ब्यूरो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परस्पर सहयोग कर रहा है।

कंप्यूटरीकरण तथा कार्यालय स्वचालन

उत्पादकता तथा समग्र दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी कार्यालयीन सेवाओं के स्वचालन की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा। इस अवधि के दौरान 6 पीसी एटी, 1 हैवी ड्यूटी तथा दो लाइट ड्यूटी फोटो कॉपीयर मशीन खरीदी गईं। विभिन्न नये अनुप्रयोग/साफ्टवेयर भी विकसित किये गये।

मानव संसाधन विकास

भारतीय मानक ब्यूरो के पास 31 मार्च 1993 तक 2 332 की जनशक्ति थी, जिनमें 401 व्यक्ति अनुसूचित जाति



भारतीय मानक ब्यूरो ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मानक निर्धारण – विशेष रूप से उन क्षेत्रों जहाँ बल दिया जाना अपेक्षित है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण का प्रचार नये उत्पादों के लिये प्रमाणन मुहर योजना आरम्भ गुणता तंत्र प्रमाणन, परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन सम्बन्धी अपनी गतिविधियों में चहुँमुखी प्रगति करना जारी रखा। भारतीय मानक ब्यूरो लगातार चौथे वर्ष भी अपनी गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में समर्थ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, ब्यूरो को अपने गैर-योजना व्ययों के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं रही।

ब्यूरो तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक

भारतीय मानक ब्यूरो ने ब्यूरो, कार्यकारिणी समिति और अपनी विभिन्न सलाहकार समितियों के माध्यम से मार्गदर्शन और निर्देश प्राप्त किये और इस मार्गदर्शन और इन निर्देशों का ब्यूरो की गतिविधियों में प्राप्त सफलता में काफी योगदान रहा। वर्ष के दौरान ब्यूरो में 22 सितम्बर, 1992 और 5 मार्च, 1993 को श्री कमालुद्दीन अहमद, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दो बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में जिन विषयों पर बल दिया गया, वे थे – वस्तुओं की गुणता और सेवा के उन्नयन में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका, मानकों का समर्पित

विकास और देश में गुणता प्रमाणन और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में भारतीय मानक ब्यूरो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति (ईसी) की वर्ष के दौरान पाँच बैठकें हुईं और इनमें भारतीय मानक ब्यूरो की निरन्तर चलने वाली गतिविधियों की मॉनीटरी की गई तथा इस संबंध में अधिक वृद्धि और विकास के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

मानक निर्धारण

भारतीय मानक ब्यूरो ने समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप मानक निर्धारण करना जारी रखा। वर्ष के दौरान 819 मानक निर्धारित किए गए।

प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, जैसे – सूचना प्रौद्योगिकी, पुनः उपयोग किए जा सकने वाले ऊर्जा-स्रोत, पर्यावरण संरक्षण तथा निरापदता और ग्रामीण जल आपूर्ति तंत्र पर मानक निर्धारण की गतिविधि में सघनता आई। वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई महत्वपूर्ण हैंडबुकों में "पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप तथा फिटिंग" तथा "पम्प" पर हैंडबुक शामिल हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो ने ग्रामीण पेयजल पर प्रौद्योगिकी मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा। सम्बद्ध एजेंसियों से वार्तालाप और राज्य और क्षेत्रवार सम्मेलन आयोजित करके मिशन के कार्यान्वयन को बढ़ाया।

उत्पाद प्रमाणन

वर्ष के दौरान 1 238 नये लाइसेंस प्रदान करने के साथ ही प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन में निरन्तर प्रगति की गई और अब चालू लाइसेंसों की संख्या 11 726 हो गई है। ये लाइसेंस लगभग 1 421 उत्पादों के लिए प्रदान किए गए। प्रमाणन पर फीडबैक पाने के लिए लाइसेंसधारियों के साथ समीक्षा बैठकें और तकनीकी गोष्ठियाँ आयोजित की गईं। समीक्षाधीन अवधि

के दौरान प्रमाणन के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादों के लाइसेंसधारियों के साथ 20 बैठकें आयोजित की गईं।

गुणता तंत्र प्रमाणन

विश्व भर में गुणता में सुधार लाने की बढ़ती हुई आवश्यकता के परिणामस्वरूप गुणता तंत्र का विकास हुआ। इस तंत्र में गुणता को प्रभावित करने वाले और इससे सम्बद्ध सभी पहलुओं, अर्थात् उत्पाद के निर्माण की प्रारम्भिक स्थिति से लेकर इसकी अन्तिम स्थिति अर्थात् – इसके उपभोग करने वाले ग्राहक की सेवा तक, का ध्यान रखा गया है। इस क्षेत्र में हो रहे विकास से अवगत होने के कारण भारतीय मानक ब्यूरो ने सितम्बर 1991 में गुणता तंत्र प्रमाणन योजना आरम्भ की। इस योजना का उद्देश्य भारतीय उद्योग को उत्पादों में निर्माण के दौरान ही गुणता लाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए गुणता को व्यवस्थित रूप से नियंत्रण करने में उन्हें सहायता प्रदान करना था। इस दिशा में प्रयास करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने संबद्ध मानकों को गुणता तंत्र पर निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से एकरूप किया और उनका अब उद्योग में प्रचार किया जा रहा है। गुणता तंत्र का प्रचालन करने वाली इकाइयों का मूल्यांकन करने के लिए 150 से भी अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष के दौरान दो लाइसेंस प्रदान किए गए। क्योंकि गुणता तंत्र लोकप्रिय हो रहा है, अतः यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष इस क्षेत्र में 50 और लाइसेंस प्रदान किये जा सकेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए आईईसी गुणता मूल्यांकन तंत्र

इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए आईईसी गुणता मूल्यांकन तंत्र (आईईसीक्यू तंत्र) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है तथा यह तृतीय पक्ष प्रमाणन योजना है। इस समय इस योजना को 25

वार्षिक रिपोर्ट 1992-93

विषय वस्तु

1. महानिदेशक महोदय की रिपोर्ट	1
2. मानक निर्धारण	4
3. प्रमाणन तथा गुणता आश्वासन	7
4. प्रयोगशाला सेवाएँ	12
5. सर्वधनात्मक गाँतौर्वाधर्याँ	15
6. क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय	17
7. अन्तर्राष्ट्रीय रात्रयोग	18
8. प्रकाशनों की बिक्री	21
9. सूचना सेवाएँ	22
10. उपभोक्ता कल्याण	24
11. भा मा ब्यूरो की गतिविधियों में हिन्दी का उपयोग	25
12. कंप्यूटरीकरण तथा कार्यालय-स्वचालन	26
13. योजनागत परियोजनाएँ	28
14. मानव संसाधन विकास	29
15. चित्त	31
16. अनुबंध "क" वर्ष 1992-93 के लेखे	32
17. अनुबंध "ख" न्यूरो की कार्यकारिणी समिति, सलाहकार समिति और महानिदेशालय के प्रमुख अधिकारी	45
18. लेखा रिपोर्ट	49

वार्षिक रिपोर्ट

1992-93



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110 002